BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Frost Free Refrigerator

Short Title	Clause of EC Act, 2001	Notification/ Regulation/ Amendment & Date	Reference IS/ IEC Standards
Frost Free Refrigerator	14(b)	S.O.182(E) dated 12th January, 2009	IS 15750:2006
	14(a)	S.O.182(E) dated 12th January, 2009	
	Amendment I	S.O.25(E) dated 5th January,2010	
	Amendment II	S.O.3437(E) dated 17th December, 2015	
	Amendment III	S.O.6243(E) dated 21st December, 2018	
	14(d)	No.2/11(5)/03-BEE.4 dated 7th July,2009	
	Amendment I	No.2/11(5)/03-BEE.4 dated 5th January, 2010	
	Amendment II	No.2/11(5)/03-BEE.4 dated 8th May, 2013	

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2009

S.O. 182(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies household frost free refrigerator for display of particulars on label and direct that any such appliances or class of appliances shall display such particulars on labels in such manner as are specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009.

[F. No. 10/6/2004-EC]

DEVENDER SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

का.आ. 183(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से सितारा लेबल वाले फ्रास्ट फ्री घरेलू प्रशीतकों के लिए निम्नलिखित ऊर्जा खपत मानक को निर्दिष्ट करती है, अर्थात्–

1. (1) भारत में निर्मित हो रहा, वाणिज्यिक तौर पर क्रय अथवा विक्रय किए गए प्रत्येक फ्रास्ट फ्री प्रशीतक–

   (i) भारतीय मानक 15750 : 2006 के खण्ड 5 में निर्दिष्ट अपेक्षांओं का पालन करेगा।

   (ii) भारतीय मानक 15750 : 2006 के खण्ड 5.2.2 के अनुसार 'पुल डाऊन टैम्परेचर' परीक्षण की निष्पादन अपेक्षाओं का पालन करेगा।

   (iii) मॉडल के सभी यूनिटों के लिए जैसे भी लागू हो पुल–डाऊन परीक्षण किए, जाएंगे लेकिन ऊर्जा लेबलिंग के लिए केवल एक ही यूनिट की परीक्षण रिपोर्ट इस की पुष्टि के लिये पर्याप्त होगी।

   (iv) निर्माता के पास या तो भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न हो या निर्माता आई.एस.ओ. 9000 अथवा इस से भी ऊपर के लिए प्रमाणित हो।

Original 14(a)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2009/पौष 26, 1930
No. 106] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2009/PAUSA 26, 1930

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

का.आ. 183(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से सितारा लेबल वाले फ्रास्ट फ्री घरेलू प्रशीतकों के लिए निम्नलिखित ऊर्जा खपत मानक को निर्दिष्ट करती है, अर्थात्–

1. (1) भारत में निर्मित हो रहा, वाणिज्यिक तौर पर क्रय अथवा विक्रय किए गए प्रत्येक फ्रास्ट फ्री प्रशीतक–

(i) भारतीय मानक 15750 : 2006 के खण्ड 5 में निर्दिष्ट अपेक्षांओं का पालन करेगा।

(ii) भारतीय मानक 15750 : 2006 के खण्ड 5.2.2 के अनुसार 'पुल डाऊन टैम्परेचर' परीक्षण की निष्पादन अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(iii) मॉडल के सभी यूनिटों के लिए जैसे भी लागू हो पुल–डाऊन परीक्षण किए जाएंगे लेकिन ऊर्जा लेबलिंग के लिए केवल एक ही यूनिट की परीक्षण रिपोर्ट इस की पुष्टि के लिये पर्याप्त होगी।

(iv) निर्माता के पास या तो भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न हो या निर्माता आई.एस.ओ. 9000 अथवा इस से भी ऊपर के लिए प्रमाणित हो।

(2) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक पर लगाए जाने वाले लेबल एक सितारे के अन्तराल में अधिकतम पांच सितारे प्रदर्शित करेंगे और इन घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर अपनी अपेक्षिक दक्षता के आधार पर एक सितारे से पांच सितारे तक निर्धारित होंगे।

2. **सितारा रेटिंग अथवा सितारा स्तर योजना** – (1) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक का सितारा लेवल (स्टार लेवल) पैरामीटर कानस्टेन्ट मल्टीप्लायर (कि.वा.घंटा/लीटर/वर्ष) K_{nf} और कानस्टेन्ट फिक्सड एलॉऊन्स (कि.वा.घंटा/वर्ष) C_{nf} के आधार पर निर्धारित होता है जो निर्माण वर्ष, अथवा व्यापारिक क्रय और विक्रय तथा तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी) और घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लिए कुल समायोजित भंडारण आयतन ($V_{adj_tot_nf}$) के अनुसार सारणी 2.1, 2.2 अथवा 2.3 से प्राप्त किया जा सकता है और इस के अनुसार ही सितारा निर्धार बैन्ड तथा मॉडल का सितारा निर्धार निकाला जा सकता है।

$$\text{सितारा रेटिंग बैन्ड (SRB)nf} = K_{nf} * V_{adj_tot_nf} + C_{nf}$$

जहां

K_q = स्थिरांक गुणक (कि0वाट घंटा/लीटर/वर्ष)

$V_{adj_tot_nf}$ = घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लिए कुल समायोजित भंडारण आयतन (लीटर)

C_{nf} = अचल नियत छूट (कि0वाट घंटा/वर्ष)

क्र.सं.	निर्मित उत्पाद/व्यापारिक रूप से क्रय किया गया या बेचा गया	प्रयोग की जाने वाली सारणी
1.	इन विनियमों के लागू होने के एक वर्ष में	2.1
2.	सारणी 2.1 में अवधि पूर्ण होने के एक वर्ष बाद	2.2
3.	सारणी 2.2 में अवधि पूर्ण होने के दो वर्ष बाद	2.3

सारणी 2.1 विनियमों के लागू होने की तारीख से एक वर्ष के लिए सितारा स्तर वैध

स्टार रेटिंग बैन्ड	K_{nf} स्थिरांक गुणक	C_{nf} स्थिर नियत स्थाई छूट
1 सितारा *	0.8716	759
2 सितारा **	0.6973	607
3 सितारा ***	0.5578	486
4 सितारा ****	0.4463	389
5 सितरा *****	0.3570	311

सारणी 2.2 सारणी 2.1 के अधीन पूर्ण होने वाली अवधि से दो वर्ष तक के लिए सितारा स्तर वैध

स्टार रेटिंग बैन्ड	K_{nf} स्थिरांक गुणक	C_{nf} स्थिर स्थाई छूट
1 सितारा *	0.5578	486
2 सितारा **	0.4463	389
3 सितारा ***	0.3570	311
4 सितारा ****	0.2856	249
5 सितरा *****	0.2285	199

सारणी 2.3 : सारणी 2.2 के अन्तर्गत पूर्ण होने वाली अवधि से दो वर्ष तक सितारा स्तर वैध

स्टार रेटिंग बैन्ड	K_{nf} स्थिरांक गुणक	C_{nf} स्थिर स्थाई छूट
1 सितारा *	0.4463	389
2 सितारा **	0.3570	311
3 सितारा ***	0.2856	249
4 सितारा ****	0.2285	199
5 सितारा *****	0.1828	159

(2) उपर्युक्त सारणी विशेष मॉडल के लिए कई सितारा स्तर बैन्डों के लिए मान प्रदान करती है और मॉडल के लिए चुना गया सितारा प्रत्येक सितारा स्तर बैन्ड की निम्न और उच्च सीमा पर आधारित होगा।

(3) सारणी 2.1 में निर्धारित मॉडल का तुलनात्मक ऊर्जा खपत कई सितारा रेटिंग बैन्डों से किया जाएगा, मॉडल के लिए चयनित सितारा रेटिंग उक्त तुलना पर आधारित होगा, तुलनात्मक ऊर्जा खपत की प्रत्येक सितारा रेटिंग बैन्ड से तुलना की जाएगी और बैन्ड के अनुरूप सितारा रेटिंग जिसका निम्न रेटिंग तुलनात्मक ऊर्जा खपत से कम और ऊपरी सीमा तुलनात्मक ऊर्जा खपत से अधिक या बराबर है, वही निम्न अनुसार मॉडल को प्रदान की जाएगी।

सितारा रेटिंग बैन्ड की निम्न सीमा $<$ तुलनात्मक ऊर्जा खपत $\leq$ सितारा रेटिंग बैन्ड की उपरि सीमा

(4) भिन्न–भिन्न मॉडल एक ही लेबल का प्रयोग कर सकते हैं जिन पर तुलनात्मक ऊर्जा खपत दिखाई गई अधिकतम वार्षिक ऊर्जा खपत से कम नहीं होनी चाहिए (नजदीक के पूर्ण अंक तक पूर्णांकित करके)।

(5) सारणी 2.3 के अन्तर्गत अवधि पूरी होने के बाद सितारा स्तर योजना हर दो वर्ष पश्चात पुनरीक्षित की जाएगी।

(6) सितारा रेटिंग बैन्ड के लिए कोई छूट नहीं है और परीक्षित किए सभी उत्पाद प्रत्येक सितारा रेटिंग के लिए न्यूनतम प्रभाव सीमा तक अवश्य पहुंचने चाहिए। सितारा रेटिंग का निर्धारण करते समय निर्माण के समय सहिष्णुता और अन्य परिवर्तनशील मदों का ध्यान रखा जाएगा।

3. **सितारा रेटिंग के लिए आकलन :** प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत, तुलनात्मक ऊर्जा खपत तथा घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लिए कुल समायोजित भंडारण आयतन नीचे दिया गया है।

(i) **प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत (PAEC)** : परीक्षित ऊर्जा खपत IS 15750 : 2006 के खण्ड 14.9 के अनुसार मापी जाएगी और प्रत्येक यूनिट की ऊर्जा खपत इस प्रकार आकलित की जाएगी।

$$PAEC = E_t^{*} (365/1000) \text{ kWh/Year)}$$

E_t = प्रति 24 घंटो में परीक्षित ऊर्जा खपत, जो कि वाट घंटा में व्यक्त की जाती है और निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित की जाती है।

(ii) **तुलनात्मक ऊर्जा खपत (CEC)** : किसी मॉडल के लिए तुलनात्मक ऊर्जा खपत तीन अथवा अधिक यूनिटों के लिए उनके औसत प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत के मान से कम नहीं होगा (पूर्णांक तक पूर्णांकित की जाएगी) जो कि लेबल पर लिखे जाने वाले ब्यौरे के लिए तथा तुलनात्मक ऊर्जा खपत के परीक्षण के लिए परीक्षित किया जाएगा और यह किलोवाट घंटा / वर्ष में पूर्णांक होगा।

(iii) **कुल समायोजित भंडारण आयतन ($V_{adj_tot_nf}$)** –

(a) ताजा खाने के कक्ष का लक्ष्य तापमान = + 3 डिग्री सेल्सियस

(b) फ्रीज़र कक्ष का लक्ष्य तापमान = –15 डिग्री सेल्सियस

(c) समायोजित आयतन गुणांक = (परीक्षण कक्ष तापमान – फ्रीज़र तापमान / परीक्षण कक्ष तापमान – ताजे खाने का तापमान)

= [(32-(-15)] / [(32-3)]

= 1.62

(d) कुल समायोजित भंडारण आयतन ($V_{adj_tot_nf}$)

= ताजा खाने के कक्ष का भंडारण आयतन + 1.62 X फ्रीज़र चैम्बर भंडारण आयतन

4. **परीक्षण और सहयता** : (1) लेबलिंग के लिए तुलनात्मक ऊर्जा खपत के अवधारण के लिए भारतीय मानक 15750 : 2006 **के** खण्ड 14 के अनुसार नामित मॉडल के तीन अलग–अलग यूनिट परीक्षित किये जाएंगे।

(2) प्रत्येक यूनिट पर वैध E_t के निर्धारण के लिए कई परीक्षण किए जाएंगे और इस निर्धारण का परिणाम परीक्षण रिपोर्ट में भारतीय मानक : 15750 : 2006 के खण्ड 14.2.2 के अनुसार भरा जाएगा।

(3) तीन अथवा अधिक पृथक यूनिटों का परीक्षण करने के बाद प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत के पृथक मानों का औसत निकाला जाता है और इसे औसत प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत से सन्दर्भित किया जाता है।

(4) संख्या को पूर्णांकित किया जाएगा और पांच सार्थक अंकों तक रिकार्ड किया जाएगा और प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत (PAEC), औसत प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत ($PAEC_{av}$), तुलनात्मक ऊर्जा खपत (CEC) तथा सितारा निर्धार बैन्ड निकटतम पूर्णांक (< 0.5 निकटतम पूर्ण अंक और ≥ 0.5 उच्चतम पूर्ण अंक) तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(5) लेबल वैधता निर्धारण के उद्देश्य के लिए

(i) तुलनात्मक ऊर्जा खपत का मान तब वैध माना जाएगा जब लेबलिंग मॉडल के एक प्रतिचयित सेट का आरम्भिक छानबीन के लिए परीक्षित किया जाएगा और इसकी प्रक्षिप्त ऊर्जा खपत निम्न प्रकार से होगी--

$$PAEC \leq 1.1 \text{ गुणा } CEC$$

(ii) अगर (i) सत्य न निकले, तो तुलनात्मक ऊर्जा खपत को तब वैध माना जाएगा, जब अतिरिक्त तीन यूनिटों का परीक्षण करने पर इन यूनिटों का प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत निम्न होगा--

$$PAEC_{(av)} \leq 1.1 \text{ गुणा } CEC$$

(iii) एकल परीक्षित मॉडल की प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत अपने अनुरूप बैन्ड के सितारा निर्धारण की उपरि सीमा से कम होगी अथवा अगर दो अतिरिक्त यूनिटों को परीक्षित किया जाए तो तीन में से दो की प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा ($PAEC_{av}$) तथा औसत प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत ($PAEC_{av}$) अनुरूप सितारा रेटिंग बैन्ड की उपरि सीमा से कम होनी चाहिए।

(6) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक की ऊर्जा खपत और निष्पादन का निर्धारण करने के लिए परीक्षण की विधि भारतीय मानक : 15750 : 2006 के खण्ड 14 के अनुसार होगी और घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के आयतन के निर्धारण के लिए (भंडारण और सकल) सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक : 15750 : 2006 के खण्ड परीक्षण विधि होगी।

(7) आयतन के लिए सहिष्णुता (भंडारण और सकल) सीमा भारतीय मानक : 15750 : 2006 के खण्ड 5.1 के अनुसार होगी और पुल डाऊन तापमान भारतीय मानक :15750:2006 के खण्ड 5.2.2 के अनुसार होगा।

5. सत्यापन के लिए नमूना लेना : सत्यापन के लिए फुटकर आऊटलेट से यदाकदा रूप से एक नमूना भारतीय मानक : 15750 : 2006 के आधार पर परीक्षण के लिए लिया जाएगा।

6. परीक्षण रिपोर्ट : प्रत्येक यूनिट के परीक्षणों के परिणाम अनुलग्नक क में दिए जाएंगें।

उपाबंध – क

परीक्षणों के परिणामों को रिपोर्ट करने के लिए फार्म

1. घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक का ब्यौरा

(i) ब्रान्ड

(ii) प्रकार

(iii) मॉडल का नाम

(iv) निर्धारित वोल्टता

(v) निर्धारित सकल आयतन

(vi) निर्धारित भंडारण आयतन

(vii) निर्धारित विद्युत खपत

2. परीक्षण सारांश

(i) जैसा लागू हो, प्रत्येक परीक्षण के लिए इस पृष्ठ की अलग से प्रति पूर्ण करें।

(ii) परीक्षण तिथि

(iii) परीक्षण अधिकारी

(iv) परीक्षण प्रकार

(v) नामित परीक्षण रिपोर्ट

(vi) परीक्षण मानक

(vii) ऊर्जा खपत परीक्षण रिपोर्ट (प्रत्येक परीक्षित यूनिट के लिए भरी जाए)

परिवेशीय परीक्षण स्थितियां:

प्रेक्षण और परिणाम:

पैरामीटर	विनिर्देश	प्रेक्षण	
		ऊष्ण	ठंडा
फ्रीज़र कक्ष तापमान (F1)			
फ्रीज़र कक्ष तापमान (F2)			
फ्रीज़र कक्ष तापमान (F3)			
फ्रीज़र कक्ष तापमान (F4)			
फ्रीज़र कक्ष तापमान (F5)			
ताजे खाने के कक्ष का औसत तापमान			
ताजे खाने के कक्ष का तापमान (R 2/3h)			
ताजे खाने के कक्ष का तापमान (R 1/3h)			
ताजे खाने के कक्ष का तापमान (R 25 mm)			
तहखाना कक्ष का तापमान			
ऊर्जा मीटर पाठ्यांक (WH)			
ऊर्जा खपत दर प्रतिदिन (WH/दिन)			
ऊर्जा खपत – लक्ष्य तापमान पर (ताजे खाने का कक्ष) (WH/दिन)			
ऊर्जा खपत –(फ्रीज़र कक्ष) लक्ष्य तापमान पर (WH/दिन)			
ऊर्जा खपत / दिन लक्ष्य तापमान पर वाटघंटा / दिन			
वार्षिक ऊर्जा खपत कि. वाटघंटा / वर्ष			

(viii) पुल डाऊन तापमान परीक्षण रिपोर्ट (प्रत्येक परीक्षण की गई यूनिट के लिए भरी जाए)

परिवेशीय परीक्षण स्थिति:

संप्रेक्षण और परिणाम:

पैरामीटर	विनिर्देश	6 घंटे के बाद प्रेक्षण °C (डिग्री सेल्सियस)
लघु अवधि फ्रोज़न खाने के कक्ष का तापमान (F 1)		
लघु अवधि फ्रोज़न खाने के कक्ष का तापमान (F 2)		
लघु अवधि फ्रोज़न खाने के कक्ष का तापमान (F 3)		
लघु अवधि फ्रोज़न खाने के कक्ष का तापमान (F 4)		
लघु अवधि फ्रोज़न खाने के कक्ष का तापमान (F 5)		
लघु अवधि ताजे खाने के कक्ष का औसत तापमान		
द्रुतशीतित कक्ष का तापमान		
ताजे खाने के कक्ष का तापमान (R 2/3h)		
ताजे खाने के कक्ष का तापमान (R 1/3h)		
ताजे खाने के कक्ष का तापमान (R – 25 mm)		
ताजे खाने के कक्ष का औसत तापमान		
तहखाने के (सेलर) कक्ष का तापमान		
तापमान नियंत्रण सेटिंग (ताजे खाने का कक्ष)		

(ix) सकल और भंडारण आयतन परीक्षण रिपोर्ट (प्रत्येक परीक्षित यूनिट के लिए भरी जानी चाहिए)

सकल आयतन (लिटर में)		
फ्रीज़र कक्ष	ताजे खाने का कक्ष	कुल

भंडारण आयतन (लिटर में)		
फ्रीज़र कक्ष	ताजे खाने का कक्ष	कुल

(x) कुल समायोजित भंडारण आयतन

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी]

देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2009

S.O. 183(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the energy consumption standards for star labeled household frost free refrigerators following , namely:-

1. (1) Every household frost free refrigerator being manufactured, commercially purchased or sold in India shall-

(i) meet the compliance requirements as specified in clause 5 of IS 15750:2006

(ii) meet the performance requirements of the pull down temperature test as per clause 5.2.2. of IS 15750:2006.

(iii) for all units within a model,be required to meet the pull-down test and as applicable, a test report for a single unit required to confirm this for the purposes of energy labelling;

(iv) either carry BIS certification mark or the manufacturer should be certified against ISO 9000 or above.

(2) The label to be affixed to household frost free refrigerator shall display a maximum of five stars with an interval of one star and these household frost free refrigerators shall be rated from star one to star five based on their relative efficiencies.

2. Star rating or star level plan.- (1)The star level of the household frost free refrigerator shall be determined on the basis of star level parameters constant multiplier (kWh/litre/year) - k_{nf} and constant fixed allowance (kWh/Year)- c_{nf} which shall be obtained from table 2.1 or 2.2 or 2.3 depending on the year of manufacturing or commercial purchase or sale and the comparative energy consumption (CEC) and total adjusted storage volume for household frost free refrigerators ($V_{adj_tot_nf}$) shall be used to determine the star rating band and star rating of the model.

$$\text{Star Rating Band (SRB)}_{nf} = k_{nf} * V_{adj_tot_nf} + c_{nf}$$

Where,

K_{nf} = Constant multiplier (kWh/Litre/Year)

$V_{adj_tot_nf}$ = Total adjusted storage volume for household frost free refrigerator (Litre)

C_{nf} = Constant fixed allowance (kWh/Year)

Sl.No.	Product manufactured/ commercially purchased or sold	Table to be used
1	One year from the date of coming into force of these regulations	2.1
2	One year after the period covered under Table 2.1 is completed	2.2
3	Two years after the period covered under Table 2.2. is completed.	2.3

TABLE 2.1: Table 2.1: Star level valid for one year from the date of coming into force of regulations

Star rating band	k_{nf} Constant multiplier	c_{nf} Constant fixed allowance
1 Star *	0.8716	759
2 Star * *	0.6973	607
3 Star * * *	0.5578	486
4 Star * * * *	0.4463	389
5 Star * * * * *	0.3570	311

Table 2.2: Star level valid for two year from the date the period covered under Table 2.1. is completed.

Star rating band	k_{nf} Constant multiplier	c_{nf} Constant fixed allowance
1 Star *	0.5578	486
2 Star * *	0.4463	389
3 Star * * *	0.3570	311

4 Star * * * *	0.2856	249
5 Star * * * * *	0.2285	199

Table 2.3: Star level valid for two years from the date the period covered under Table 2.2. is completed.

Star rating band	k_{nf} Constant multiplier	c_{nf} Constant fixed allowance
1 Star *	0.4463	389
2 Star * *	0.3570	311
3 Star * * *	0.2856	249
4 Star * * * *	0.2285	199
5 Star * * * * *	0.1828	159

(2)The above tables provide for the value of various star level bands for particular model and the star level chosen for the model will be based on the lower and the upper limits of each star level band.

(3)The Comparative energy consumption (CEC) of the model as determined from Table 2.1 will be compared with the various star rating bands, the star rating chosen for the model will be based on the above comparison, CEC will be compared to the lower and the upper limits of each star rating band, the star rating corresponding to the band whose lower rating is less than CEC and upper limit is greater than or equal to CEC shall be assigned to the model as under:-

Lower Limit of **star rating band < CEC ≤** Upper Limit of **star rating band**

(4) A model variant may use a common label with comparative energy consumption (CEC) not less than the highest projected annual energy consumption ($PAEC_{av}$) (rounded to the nearest whole number) of those variants.

(5)The star level plan shall be reviewed every two years after the period covered under table 2.3 is over.

(6)There is no tolerance for the star rating bands and all tested products must meet the minimum threshold for each star rating band and the scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted for when determining the star rating.

3. Calculations for star rating.-The equations and procedures for calculating values of projected annual energy consumption (PAEC), comparative energy consumption (CEC) and total adjusted storage volume for household frost free refrigerator are giving below:

(i.) Projected annual energy consumption (PAEC).-The tested energy consumption (E_t) shall be measured as per clause 14.9 of IS 15750:2006 and the projected annual energy consumption (PAEC) of each unit tested shall be calculated as follows:-

$$PAEC = E_t * (365/1000) \quad (kWh/Year)$$

E_t = tested energy consumption expressed in watt hour per 24 hours, rounded to the nearest whole number.

(ii.) Comparative energy consumption (CEC).-The comparative energy consumption (CEC) for a model shall not be less than the average (rounded to a whole integer) projected annual energy consumption (PAEC) value (i.e. annual projected annual energy consumption ($PAEC_{av}$)) for the three (or more) units which are tested to determine the label particulars and the comparative energy consumption (CEC) shall be an integer in units of kWh/Year.

(iii.) Total adjusted storage volume ($V_{adj_tot_nf}$).-

a) fresh food chamber target temperature shall be= +3 degree celsius

b) freezer chamber target temperature shall be = - 15 degree celsius

c) adjusted volume factor = (test room temperature – freezer temperature) / (test room temperature – fresh food temperature)

$$= [(32 - (-15)) / [(32 - 3)]$$

$$= 1.62$$

d) total adjusted storage volume ($V_{adj_tot_nf}$)

= fresh food chamber storage volume + 1.62 multiplied by freezer chamber storage volume.

4. Testing and tolerance.-(1)For the purpose of determining the comparative energy consumption (CEC) of a model for labelling, three separate units of the nominated model shall be tested for energy consumption in accordance with clause 14 of IS 15750:2006.

(2) Each unit shall be tested with test runs to enable a valid E_t to be determined for that unit and this determination shall be documented in a test report containing the test result for all test runs used to derive E_t as per clause 14.2.2.of IS 15750:2006.

(3) After testing three or more separate units, the separate values of projected annual energy consumption (PAEC) shall be averaged and referred to as average projected annual energy consumption ($PAEC_{av}$).

(4)The number shall be rounded of and recorded to five significant figures and the values of projected annual energy consumption (PAEC), average projected annual energy consumption ($PAEC_{av}$), comparative energy consumption (CEC), and star rating band shall be rounded of (< 0.5 to lower whole number and ≥ 0.5 to higher whole number) to the nearest whole number.

(5)For the purpose of determining label validity.-

(i) the comparative energy consumption (CEC) value shall be accepted as valid, when a single sample of a labeled model is tested for an initial screening test and its projected annual energy consumption (PAEC) is as under:-

$$PAEC \leq 1.1 \text{ multiplied by } CEC$$

(ii) in case (i) is not established, the comparative energy consumption (CEC) shall be accepted as valid if three additional units are tested and the average projected annual energy consumption (PAEC) of these additional units is as under :-

$$PAEC_{(av)} \leq 1.1 \text{ multiplied by } CEC$$

(iii) the projected annual energy consumption (PAEC) shall be less than the upper limit of the corresponding star rating band of the star rating of a single model tested or if two additional units are tested then projected annual energy consumption (PAEC) of two out of three and average projected annual energy consumption ($PAEC_{av}$) should be less than then upper limit of the corresponding star rating band.

(6)For determining the energy consumption and performance for household frost free refrigerator, the method of testing would be as per clause 14 of IS 15750: 2006 and for determining the volume(storage and gross) for household frost free refrigerator, the method of testing would be as per clause 6 of IS 15750:2006, with all amendments.

(7)The tolerance limit for the volume (storage and gross) shall be as per clause 5.1 of IS 15750:2006, and pull-down temperature shall be as per clause 5.2.2 of IS 15750:2006.

5. Sampling for verification.-For the purpose of verification, one sample will be at marked random from a retail outlet for testing as per IS 15750:2006.

6. Test report.- The results of tests of each unit shall be reported in Annexure A.

Annexure A

Form for reporting the results of tests

1. Details of household frost free refrigerator:

(i) Brand:
(ii) Type:
(iii) Model name:
(iv) Rated voltage:
(v) Rated Gross Volume:
(vi) Rated Storage Volume:
(vii) Rated Electricity Consumption:

2. Test summary:

(i) Complete separate copy of this page for each type test, as applicable
(ii) Date of test:
(iii) Test officer:
(iv) Test type:
(v) Nominal test condition:
(vi) Test Standard:
(vii) Energy Consumption Test Report(to be submitted for each unit tested):

Ambient test conditions:

Observations and Results:

Parameters	Specification	Observation	
		Warm	Cold
Temperature of Freezer Compartment(F1)			
Temperature of Freezer Compartment(F2)			
Temperature of Freezer Compartment(F3)			
Temperature of Freezer Compartment(F4)			
Temperature of Freezer Compartment(F5)			
Average Temperature of Fresh Food Compartment			
Temperature of Fresh Food Compartment (R 2/3h)			
Temperature of Fresh			

Food Compartment(R 1/3h)			
Temperature of Fresh Food Compartment(R-25mm)			
Temperature of Cellar Compartment			
Energy Meter Reading(WH)			
Time elapsed(minutes)			
Energy Consumption rate per day (WH/Day)			
Energy Consumption(Fresh Food Compartment) at Target Temperature(WH/Day)			
Energy Consumption(Freezer Compartment) at Target Temperature(WH/Day)			
Energy Consumption/Day at Target Temperature(WH/Day)			
Yearly Energy Consumption(kWH/year)			

(viii.) The Pull down temperature test report (to be submitted for each unit tested):

Ambient test condition:

Observations and Results:

Parameters	Specification	Observation after 6 hours in °C (Degree Celsius)
Temperature of Short Term Frozen Food Compartment(F1)		
Temperature of Short Term Frozen Food Compartment(F2)		
Temperature of Short Term Frozen Food		

Compartment(F3)		
Temperature of Short Term Frozen Food Compartment(F4)		
Temperature of Short Term Frozen Food Compartment(F5)		
Average Temperature of Short Term Fresh Food Compartment.		
Temperature of Chill Compartment		
Temperature of Fresh Food Compartment(R 2/3h)		
Temperature of Fresh Food Compartment(R 1/3h)		
Temperature of Fresh Food Compartment(R-25mm)		
Average Temperature of Fresh Food Compartment		
Temperature of Cellar Compartment		
Temperature Control Setting (Fresh Food Compartment)		

(ix) The gross and storage volume test report(to be submitted for each unit tested):

Gross volume (in litres)		
Freezer compartment	Fresh food compartment	Total

Storage volume (in litres)		
Freezer compartment	Fresh food compartment	Total

(x) Total Adjusted Storage Volume:

[F. No. 10/6/2004-EC]

DEVENDER SINGH, Jt. Secy.

Amendment I
14(a)

सारणी 2.3 01.01.2014 से 31.12.2015 तक सितार स्तर का विधिमान्य होना

स्टार रेटिंग बैन्ड	न्यूनतम सीइसी	अधिकतम सीइसी
1 सितारा*	$\geq 0.4463 * V_{adj_tot_nf} + 389$	$< 0.3570 * V_{adj_tot_nf} + 311$
2 सितारा **	$\geq 0.3570 * V_{adj_tot_nf} + 311$	$< 0.2856 * V_{adj_tot_nf} + 249$
3 सितारा ***	$\geq 0.2856 * V_{adj_tot_nf} + 249$	$< 0.2285 * V_{adj_tot_nf} + 199$
4 सितारा ****	$\geq 0.2285 * V_{adj_tot_nf} + 199$	$< 0.1828 * V_{adj_tot_nf} + 159$
5 सितारा *****	$\geq 0.1828 * V_{adj_tot_nf} + 159$"	

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी]
देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— मूल अधिसूचना संख्यांक का.आ.183(अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2010

S.O. 25(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Power number S.O 183(E), dated the 12th January, 2009, namely:-

In the said notification, for sub-paragraph (1) of paragraph 2, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"Star rating band or star level plan.- (1) The star level of the household frost free refrigerator shall be determined on the basis of star level parameters constant multiplier (kWh/Litre/Year) - k_{nf} and constant fixed allowance (kWh/Year) - c_{nf} which shall be obtained from the following Table 2.1 or 2.2 or 2.3, depending on the year of manufacturing or import or sale and the comparative energy consumption (CEC) and total adjusted storage volume for household frost free refrigerators (Vadj_tot_nf) shall be used to determine the star rating band and star rating of the model, namely:-

$$\text{Comparative Energy Consumption (CEC)} = k_{nf} * V_{adj_tot_nf} + c_{nf}$$

Where,

k_{nf} = Constant Multiplier (kWh/Litre/Year)

$V_{adj_tot_nf}$ = Total adjusted storage volume for household frost free refrigerator (Litre)

c_{nf} = Constant fixed allowance (kWh/Year)

Sl. No.	Period of Product Manufacturing or Import or Sale	Table to be used
1	From the date of publication of these orders till 31.12.2011.	2.1
2	From 01.01.2012 to 31.12.2013.	2.2
3	From 01.01.2014 to 31.12.2015.	2.3

Table 2.1: Star level valid from the date of publication of these regulations till 31.12.2011.

Star rating band	Minimum CEC	Maximum CEC
1 Star *	$\geq 0.8716 * V_{adj_tot_nf} + 759$	$< 0.6973 * V_{adj_tot_nf} + 607$
2 Star * *	$\geq 0.6973 * V_{adj_tot_nf} + 607$	$< 0.5578 * V_{adj_tot_nf} + 486$
3 Star * * *	$\geq 0.5578 * V_{adj_tot_nf} + 486$	$< 0.4463 * V_{adj_tot_nf} + 389$
4 Star * * * *	$\geq 0.4463 * V_{adj_tot_nf} + 389$	$< 0.3570 * V_{adj_tot_nf} + 311$
5 Star * * * * *	$\geq 0.3570 * V_{adj_tot_nf} + 311$	

Table 2.2: Star level valid from 01.01.2012 to 31.12.2013.

Star rating band	Minimum CEC	Maximum CEC
1 Star *	$\geq 0.6973 * V_{adj_tot_nf} + 607$	$< 0.5578 * V_{adj_tot_nf} + 486$
2 Star * *	$\geq 0.5578 * V_{adj_tot_nf} + 486$	$< 0.4463 * V_{adj_tot_nf} + 389$
3 Star * * *	$\geq 0.4463 * V_{adj_tot_nf} + 389$	$< 0.3570 * V_{adj_tot_nf} + 311$
4 Star * * * *	$\geq 0.3570 * V_{adj_tot_nf} + 311$	$< 0.2856 * V_{adj_tot_nf} + 249$
5 Star * * * * *	$\geq 0.2856 * V_{adj_tot_nf} + 249$	

Table 2.3: Star level valid from 01.01.2014 to 31.12.2015

Star rating band	Minimum CEC	Maximum CEC
1 Star *	$\geq 0.4463 * V_{adj_tot_nf} + 389$	$< 0.3570 * V_{adj_tot_nf} + 311$
2 Star * *	$\geq 0.3570 * V_{adj_tot_nf} + 311$	$< 0.2856 * V_{adj_tot_nf} + 249$
3 Star * * *	$\geq 0.2856 * V_{adj_tot_nf} + 249$	$< 0.2285 * V_{adj_tot_nf} + 199$
4 Star * * * *	$\geq 0.2285 * V_{adj_tot_nf} + 199$	$< 0.1828 * V_{adj_tot_nf} + 159$
5 Star * * * * *	$\geq 0.1828 * V_{adj_tot_nf} + 159$"	

[F. No. 10/6/2004-EC]

DEVENDER SINGH, Jt. Secy.

Foot Note:— The principal notification was published vide number S.O. 183(E), dated the 12th January, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

Amendment II
14(a)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2739] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 2015/अग्रहायण 26, 1937
No. 2739] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 2015/AGRAHAYANA 26, 1937

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2015

का.आ.3437(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सख्या का.आ. 183 (अ.), तारीख 12 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, -

(क) उप पैरा (1) में -

(i) शब्दों और अंकों "सारणी 2.1 या 2.2 या 2.3", के स्थान पर "सारणी 2.1 या 2.2 या 2.3 या 2.4" शब्द और अंक के स्थान पर रखे जायेंगे;

(ii) "तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी)" शीर्षक के अधीन सारणी में, क्रम सं. 3 के पश्चात् और निम्नलिखित से संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"4	01.01.2016 से 31.12.2018 तक	2.4";

(iii) सारणी 2.3 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"सारणी 2.4: 01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2018 तक स्टॉर लेबल विधिमान्य हैं"

LVkj रेटिंग बैंड	सीईसी मानक
1 स्टार *	$(0.286*V_{adj_tot_nt}+249) \leq CEC < (0.357*V_{adj_tot_nt}+311)$
2 स्टार **	$(0.228*V_{adj_tot_nt}+199) \leq CEC < (0.286*V_{adj_tot_nt}+249)$
3 स्टार ***	$(0.183*V_{adj_tot_nt}+159) \leq CEC < (0.228*V_{adj_tot_nt}+199)$
4 स्टार ****	$(0.146*V_{adj_tot_nt}+127) \leq CEC < (0.183*V_{adj_tot_nt}+159)$
5 स्टार *****	$CEC < 0.146*V_{adj_tot_nt}+127)$";

(ख) उप पैरा (3) में शब्दों और अंकों "सारणी 2.1" के स्थान पर शब्द और अंक "सारणी 2.1 या 2.2 या 2.3 या 2.4" के स्थान पर रखे जायेंगे;

(ग) उप पैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) सारणी 2.4 में दी गई अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष में स्टार लेबल योजना का पुनर्विलोकन किया जाएगा"।

[एफ.सं.13/13/2015-ईसी]

सतीश कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी.- मूल अधिसूचना संख्या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) का.आ. 183 (अ.), तारीख 12 जनवरी, 2009 को प्रकाशित की गई थी और इसमें संख्या का.आ. 25(अ) तारीख 5 जनवरी, 2010 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2015

S.O. 3437(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Power number S.O. 183(E), dated the 12th January, 2009, namely:—

In the said notification, in paragraph 2,—

(a) in sub-paragraph (1),—

(i) for the words and figures "Table 2.1 or 2.2 or 2.3", the words and figures "table 2.1 or 2.2 or 2.3 or 2.4" shall be substituted;

(ii) under the heading "Comparative Energy Consumption (CEC)", in the Table, after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"4	From 01.01.2016 to 31.12.2018	2.4";

(iii) after table 2.3, the following table shall be inserted namely:-

"Table 2.4: Star level valid from 01.01.2016 to 31.12. 2018	
Star rating band	**CEC criteria**
1 Star *	$(0.286*V_{adj_tot_nt}+249) \leq CEC < (0.357* V_{adj_tot_nt}+311)$
2 Star **	$(0.228*V_{adj_tot_nt}+199) \leq CEC < (0.286* V_{adj_tot_nt}+249)$
3 Star ***	$(0.183*V_{adj_tot_nt}+159) \leq CEC < (0.228* V_{adj_tot_nt}+199)$
4 Star ****	$(0.146*V_{adj_tot_nt}+127) \leq CEC < (0.183* V_{adj_tot_nt}+159)$
5 Star *****	$CEC < 0.146* V_{adj_tot_nt}+127)$";

(b) in sub-paragraph (3), for the word and figures "Table 2.1", the words and figures "table 2.1 or 2.2 or 2.3 or 2.4" shall be substituted;

(c) for sub-paragraph (5), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(5) The star level plan shall be reviewed every three years after the period covered under table 2.4 is over.".

[F.No.13/13/2015-EC]

SATISH KUMAR, Jt. Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 183(E), dated the 12th January, 2009 and amended vide number S.O.25(E) dated the 5th January, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5005] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2018/अग्रहायण 30, 1940
No. 5005] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2018/AGRAHAYANA 30, 1940

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6243(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सख्या का.आ. 183 (अ.), तारीख 16 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में,—

क. उप पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: :-

"(1) घरेलू फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रीजरेटर के स्टार स्तर का अवधारण स्टार स्तर के पैरामीटरों, स्थिरांक बहुगुणक (केडब्ल्यूएच / लीटर / वर्ष) – के$_{\text{एनएफ}}$ और स्थिरांक नियत छूट (केडब्ल्यूएच / लीटर / वर्ष) – सी$_{\text{एनएफ}}$ के आधार पर किया जाएगा, जिन्हें दी गई सारणी 2.1 या सारणी 2.2 या सारणी 2.3 या सारणी 2.4 या सारणी 2.5 से विनिर्माण या आयात या बिक्री के वर्ष पर निर्भर करते हुए अभिप्राप्त किया जाएगा, जैसा सारणी क और घरेलू फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रीजरेटर के लिए तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी) और कुल समायोजित भंडार आयतन (वी$_{\text{एडीजे_टीओटी_एनएफ}}$) को स्टार रेटिंग बैंड और मॉडल की स्टार रेटिंग के अवधारण में उपयोग किया जाएगा।"

तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी) = केएनएफ* वी$_{\text{एडीजे_टीओटी_एनएफ}}$ **+** सी$_{\text{एनएफ}}$

जहां,

के$_{\text{एनएफ}}$	=	स्थिरांक बहुगुणक (केडब्ल्यूएच / लीटर / वर्ष)
वी$_{\text{एडीजे_टीओटी_एनएफ}}$	=	घरेलू फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रीजरेटर (लीटर) के लिए कुल समायोजित भंडार आयतन
सी$_{\text{एनएफ}}$	=	स्थिरांक नियत छूट (केडब्ल्यूएच / वर्ष)

सारणी क

क्रम सं.	विनिर्मित उत्पाद या आयात या बिक्री की अवधि	उत्पाद का स्टार स्तर अवधारित करने के लिए उपयोग होने वाली सारणी
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	12 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2011 तक	**2.1**
2.	01 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक	**2.2**
3.	01 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 तक	**2.3**
4.	01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2019 तक	**2.4**
5	01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2021 तक	**2.5**

सारणी 2.1: 12 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2011 तक स्टार स्तर विधिमान्य है

क्र. सं.	स्टार रेटिंग बैंड	तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी) मानदण्ड
(1)	(2)	(3)
1.	1 स्टार *	$(0.6973^{*}\ V_{adj_tot_nf}+607) \leq CEC<(\ 0.8716^{*}V_{adj_tot_nf}+759)$
2.	2 स्टार **	$(0.5578^{*}\ V_{adj_tot_nf}+486)\leq CEC < (0.6973^{*}V_{adj_tot_nf}+607)$
3.	3 स्टार ***	$(0.4463^{*}\ V_{adj_tot_nf}+389)\leq CEC < (0.5578^{*}\ V_{adj_tot_nf}+486$
4.	4 स्टार ****	$(0.3570^{*}V_{adj_tot_nf}+311) \leq CEC < (0.4463^{*}\ V_{adj_tot_nf}+389)$
5.	5 स्टार *****	$CEC < 0.3570^{*}\ V_{adj_tot_nt}+311)$

सारणी 2.2: 01 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक स्टार स्तर विधिमान्य है

क्र. सं.	स्टार रेटिंग बैंड	तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी) मानदण्ड
(1)	(2)	(3)
1.	1 स्टार *	$(0.5578^{*}\ V_{adj_tot_nf}+486)\leq CEC < (0.6973^{*}V_{adj_tot_nf}+607)$
2.	2 स्टार **	$(0.4463^{*}\ V_{adj_tot_nf}+389)\leq CEC < (0.5578^{*}\ V_{adj_tot_nf}+486)$
3.	3 स्टार ***	$(0.3570^{*}V_{adj_tot_nf}+311)\leq CEC < (0.4463^{*}\ V_{adj_tot_nf}+389)$
4.	4 स्टार ****	$(0.2856^{*}V_{adj_tot_nf}+249)\leq CEC < (0.3570^{*}\ V_{adj_tot_nf}+311)$
5.	5 स्टार *****	$CEC < (0.2856^{*}\ V_{adj_tot_nf}+249)$

सारणी 2.3: 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 तक स्टार स्तर विधिमान्य है

क्र सं.	स्टार रेटिंग बैंड	तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी) मानदण्ड
(1)	(2)	(3)
1.	1 स्टार *	$(0.3570^{*}V_{adj_tot_nf}+311)\leq CEC< (0.4463^{*}V_{adj_tot_nf}+389)$
2.	2 स्टार **	$(0.2856^{*}V_{adj_tot_nf}+249) \leq CEC<(0.3570^{*}V_{adj_tot_nf}+311)$
3.	3 स्टार ***	$(0.2285^{*}\ V_{adj_tot_nf}+199)\leq CEC< (0.2856^{*}\ V_{adj_tot_nf}+249)$
4.	4 स्टार ****	$(0.1828^{*}\ V_{adj_tot_nf}+159)\leq CEC < (0.2285^{*}\ V_{adj_tot_nf}+199$
5.	5 स्टार *****	$CEC < (0.1828^{*}\ V_{adj_tot_nf}+159)$

सारणी 2.4: 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2019 तक स्टार स्तर विधिमान्य है

क्रम सं.	स्टार रेटिंग बैंड	तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी) मानदण्ड
(1)	(2)	(3)
1.	1 स्टार *	$(0.286*V_{adj_tot_nf}+249) \leq CEC < (0.357* V_{adj_tot_nf}+311)$
2.	2 स्टार **	$(0.228*V_{adj_tot_nf}+199) \leq CEC < (0.286* V_{adj_tot_nf}+249)$
3.	3 स्टार ***	$(0.183*V_{adj_tot_nf}+159) \leq CEC < (0.228* V_{adj_tot_nf}+199)$
4.	4 स्टार ****	$(0.146*V_{adj_tot_nf}+127) \leq CEC < (0.183* V_{adj_tot_nf}+159)$
5.	5 स्टार *****	$CEC < (0.146* V_{adj_tot_nt}+127)$

सारणी 2.5: 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2021 तक स्टार स्तर विधिमान्य है

क्रम सं.	स्टार रेटिंग बैंड	तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी) मानदण्ड
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	1 स्टार *	$(0.228*V_{adj_tot_nf}+199) \leq CEC < (0.286* V_{adj_tot_nf}+249)$
2.	2 स्टार **	$(0.183*V_{adj_tot_nf}+159) \leq CEC < (0.228* V_{adj_tot_nf}+199)$
3.	3 स्टार ***	$(0.146*V_{adj_tot_nf}+127) \leq CEC < (0.183* V_{adj_tot_nf}+159)$
4.	4 स्टार ****	$(0.117* V_{adj_tot_nf} +102) \leq CEC < (0.146*V_{adj_tot_nf}+127)$
5.	5 स्टार *****	$CEC < (0.117*V_{adj_tot_nf}+102)$”;

ख. उप पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उप पैरा (1) के अधीन सारणी में विशेष मॉडल के लिए विभिन्न स्टार स्तर बैंडों के मान दिए गए हैं और मॉडल के लिए चुना गया स्टार स्तर प्रत्येक स्टार स्तर बैंड की निचली और ऊपरी सीमाओं पर आधारित होगा।

(2क) सारणी 2.4 में विनिर्दिष्ट एक स्टार के लिए फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रीजरेटर पर विशिष्टियों का प्रदर्शन करने के लिए उक्त फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रीजरेटर के न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन स्तर को उन्नत बनाने के प्रयोजन के लिए 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।”;

ग. उप पैरा (3) में शब्द और अंकों "सारणी 2.1 या 2.2 या 2.3 या 2.4" के स्थान पर शब्द और अंक" सारणी 2.1 या सारणी 2.2 या सारणी 2.3 या सारणी 2.4 या सारणी 2.5 रखे जाएंगे;

घ. उप पैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"सारणी 2.5 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पूर्व स्टार स्तर योजना का पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसके पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष में स्टार स्तर योजना का पुनर्विलोकन किया जाएगा।";

[फा. सं. 13/13/2018-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) का.आ. 183(अ) तारीख 16 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसके बाद इसमें संख्या का.आ. 25(अ) तारीख 6 जनवरी, 2010 तथा का.आ. 3437(अ) तारीख 17 दिसम्बर, 2015 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2018

S.O. 6243(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power, number S.O. 183(E), dated the 16th January, 2009, namely:—

In the said notification, in paragraph 2,—

a) for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(1) The star level of the household frost free refrigerator shall be determined on the basis of star level parameters, constant multiplier (kWh/litre/year) – k_{nf} and constant fixed allowance (kWh/Year)- $c_{nf,}$ which shall be obtained from the Table 2.1 or Table 2.2 or Table 2.3 or Table 2.4 or Table 2.5, depending on the year of manufacturing or import or sale as specified in Table A and the Comparative Energy Consumption (CEC) and total adjusted storage volume for household frost free refrigerator ($V_{adj_tot_nf}$) shall be used to determine the star rating band and star rating of model, namely:—

Comparative Energy Consumption (CEC) = knf * $V_{adj_tot_nf}$ + c_{nf}

Where,

K_{nf} = Constant multiplier (kWh/Litre/Year)

$V_{adj_tot_nf}$ = Total adjusted storage volume for household Frost Free Refrigerator(Litre)

C_{nf} = Constant fixed allowance (kWh/Year)

TABLE A

S. No.	Period of Product manufacturing or import or sale	Table to be used for determining star level to a product
(1)	(2)	(3)
1.	From 12th January, 2009 to 31st December, 2011	2.1
2.	From 1st January, 2012 to 31st December, 2013	2.2
3.	From 1st January, 2014 to 31st December, 2015	2.3
4.	From 1st January, 2016 to 31st December, 2019	2.4
5	From 1st January, 2020 to 31st December, 2021	2.5

Table 2.1: Star level valid from 12th January, 2009 till 31st December, 2011

S. No.	Star rating band	Comparative Energy Consumption (CEC) criteria
(1)	(2)	(3)
1.	1 Star *	$(0.6973* V_{adj_tot_nf}+607) \leq CEC < (0.8716*V_{adj_tot_nf}+759)$
2.	2 Star **	$(0.5578* V_{adj_tot_nf}+486) \leq CEC < (0.6973*V_{adj_tot_nf}+607)$
3.	3 Star ***	$(0.4463* V_{adj_tot_nf}+389) \leq CEC < (0.5578* V_{adj_tot_nf}+486$
4.	4 Star ****	$(0.3570*V_{adj_tot_nf}+311) \leq CEC < (0.4463* V_{adj_tot_nf}+389)$
5.	5 Star *****	$CEC < 0.3570* V_{adj_tot_nt}+311)$

Table 2.2: Star level valid from 1st January, 2012 to 31st December, 2013

S. No.	Star rating band	Comparative Energy Consumption (CEC) criteria
(1)	(2)	(3)
1.	1 Star *	$(0.5578^* V_{adj_tot_nf}+486) \leq CEC < (0.6973^* V_{adj_tot_nf}+607)$
2.	2 Star **	$(0.4463^* V_{adj_tot_nf}+389) \leq CEC < (0.5578^* V_{adj_tot_nf}+486)$
3.	3 Star ***	$(0.3570^* V_{adj_tot_nf}+311) \leq CEC < (0.4463^* V_{adj_tot_nf}+389)$
4.	4 Star ****	$(0.2856^* V_{adj_tot_nf}+249) \leq CEC < (0.3570^* V_{adj_tot_nf}+311)$
5.	5 Star *****	$CEC < (0.2856^* V_{adj_tot_nf}+249)$

Table 2.3: Star level valid from 1st January, 2014 to 31st December, 2015

S. No.	Star rating band	Comparative Energy Consumption (CEC) criteria
(1)	(2)	(3)
1.	1 Star *	$(0.3570^* V_{adj_tot_nf}+311) \leq CEC < (0.4463^* V_{adj_tot_nf}+389)$
2.	2 Star **	$(0.2856^* V_{adj_tot_nf}+249) \leq CEC < (0.3570^* V_{adj_tot_nf}+311)$
3.	3 Star ***	$(0.2285^* V_{adj_tot_nf}+199) \leq CEC < (0.2856^* V_{adj_tot_nf}+249)$
4.	4 Star ****	$(0.1828^* V_{adj_tot_nf}+159) \leq CEC < (0.2285^* V_{adj_tot_nf}+199$
5.	5 Star*****	$CEC < (0.1828^* V_{adj_tot_nf}+159)$

Table 2.4: Star level valid from 1st January, 2016 to 31st December, 2019

S. No.	Star rating band	Comparative Energy Consumption (CEC) criteria
(1)	(2)	(3)
1.	1 Star *	$(0.286^* V_{adj_tot_nf}+249) \leq CEC < (0.357^* V_{adj_tot_nf}+311)$
2.	2 Star **	$(0.228^* V_{adj_tot_nf}+199) \leq CEC < (0.286^* V_{adj_tot_nf}+249)$
3.	3 Star ***	$(0.183^* V_{adj_tot_nf}+159) \leq CEC < (0.228^* V_{adj_tot_nf}+199)$
4.	4 Star ****	$(0.146^* V_{adj_tot_nf}+127) \leq CEC < (0.183^* V_{adj_tot_nf}+159)$
5.	5 Star *****	$CEC < (0.146^* V_{adj_tot_nt}+127)$

Table 2.5: Star level valid from 1st January, 2020 to 31st December, 2021

S. No.	Star rating band	Comparative Energy Consumption (CEC) criteria
(1)	(2)	(3)
1.	1 Star *	$(0.228^* V_{adj_tot_nf}+199) \leq CEC < (0.286^* V_{adj_tot_nf}+249)$
2.	2 Star **	$(0.183^* V_{adj_tot_nf}+159) \leq CEC < (0.228^* V_{adj_tot_nf}+199)$
3.	3 Star ***	$(0.146^* V_{adj_tot_nf}+127) \leq CEC < (0.183^* V_{adj_tot_nf}+159)$
4.	4 Star ****	$(0.117^* V_{adj_tot_nf} +102) \leq CEC < (0.146^* V_{adj_tot_nf} +127)$
5.	5 Star *****	$CEC < (0.117^* V_{adj_tot_nf} +102)$”;

b) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) The table under sub-paragraph (1), provide value of various star level bands for particular model and the star level chosen for the model shall be based on the lower and the upper limits of each star level band.

(2A) The permission for display of particulars on the frost free refrigerator for one star specified in Table 2.4 shall not be permitted from the 1st January 2019 to 31st December 2019 for the purpose of upgrading the minimum energy performance level of such Frost Free Refrigerator.";

c) in sub-paragraph (3), for the words and figures "Table 2.1 or 2.2 or 2.3 or 2.4", the words and figures "Table 2.1 or Table 2.2 or Table 2.3 or Table 2.4 or Table 2.5" shall be substituted;

d) for sub-paragraph (5), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(5) The star level plan shall be reviewed before the expiry of the period specified under Table 2.5 and thereafter, the star level plan shall be reviewed every two years.";

[F. No. 13/13/2018-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 183(E), dated the 16th January, 2009 and subsequently amended vide number S.O. 25(E), dated the 6th January, 2010 and S.O. 3437(E), dated the 17th December, 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6244(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1899(अ) तारीख 26 मई, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, -

(i) उप पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) घरेलू सीधे ठण्डे प्रशीतक के स्टार स्तर का अवधारण स्टार स्तर के पैरामीटरों, स्थिरांक बहुगुणक (केडब्ल्यूएच / लीटर / वर्ष) – के$_{डीसी}$ और स्थिरांक नियत छूट (केडब्ल्यूएच / वर्ष) – सी$_{डीसी}$ के आधार पर किया जाएगा, जिन्हें उप पैरा (2) में दी गई सारणी 2.1 या सारणी 2.2 या सारणी 2.3 से विनिर्माण या वाणिज्यिक खरीद या बिक्री के वर्ष पर निर्भर करते हुए अभिप्राप्त किया जाएगा, जैसा उप पैरा (2) के अधीन सारणी क में निर्दिष्ट है।";

(ii) उप पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) घरेलू सीधे ठण्डे प्रशीतक की तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी) और कुल समायोजित भंडार आयतन (वी$_{एडीजे टीओटी डीसी}$) को स्टार रेटिंग बैंड तथा मॉडल की स्टार रेटिंग के अवधारण में उपयोग किया जाएगा।

स्टार रेटिंग बैंड (एसआरबी)$_{डीसी}$ =के$_{डीसी}$* वी$_{एडीजे_टीओटी_डीसी}$ + सी$_{डीसी}$

जहां,

के$_{डीसी}$	=	स्थिरांक बहुगुणक (केडब्ल्यूएच / लीटर / वर्ष)
वी$_{एडीजे टीओटी डीसी}$	=	सीधे ठण्डे प्रशीतक (लीटर) के लिए कुल समायोजित भंडार आयतन
सी$_{डीसी}$	=	स्थिरांक नियत छूट (केडब्ल्यूएच / वर्ष)

सारणी क

क्र.सं.	विनिर्मित उत्पाद या आयात या बिक्री की अवधि	उत्पाद का स्टार स्तर अवधारण करने के लिए उपयोग होने वाली सारणी
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	26 मई, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016	**2.1**
2.	1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2019	**2.2**
3.	1 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2021	**2.3**

सारणी 2.1: **26 मई**, **2016 से 31 दिसम्बर**, **2016 तक विधिमान्य स्टार रेटिंग बैंड**

क्र.सं.	स्टार रेटिंग बैंड	तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी) मानदण्ड
(1)	(2)	(3)
1.	1 स्टार *	$0.413^* V_{adj_tot_dc}+346 \leq CEC < 0.516^*V_{adj_tot_dc}+432$
2.	2 स्टार * *	$0.33^* V_{adj_tot_dc}+277 \leq CEC < 0.413^*V_{adj_tot_dc}+346$
3.	3 स्टार * * *	$0.264^* V_{adj_tot_dc}+221 \leq CEC < 0.33^*V_{adj_tot_dc}+277$
4.	4 स्टार * * * *	$0.211^* V_{adj_tot_dc}+177 \leq CEC< 0.264^*V_{adj_tot_dc}+221$
5.	5 स्टार * * * * *	$CEC < 0.211^*V_{adj_tot_dc}+177$

सारणी 2.2: 01 जनवरी, **2017 से 31 दिसम्बर**, **2019 तक विधिमान्य स्टार रेटिंग बैंड**

क्र.सं.	स्टार रेटिंग बैंड	तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी) मानदण्ड
(1)	(2)	(3)
1.	1 स्टार *	$0.264^* V_{adj_tot_dc}+221 \leq CEC < 0.33^*V_{adj_tot_dc}+277$
2.	2 स्टार * *	$0.211^* V_{adj_tot_dc}+177 \leq CEC< 0.264^*V_{adj_tot_dc}+221$
3.	3 स्टार * * *	$0.169^* V_{adj_tot_dc}+141 \leq CEC< 0.211^*V_{adj_tot_dc}+177$
4.	4 स्टार * * * *	$0.135^* V_{adj_tot_dc}+113 \leq CEC < 0.169^* V_{adj_tot_dc}+141$
5.	5 स्टार * * * * *	$CEC < 0.135^*V_{adj_tot_dc}+113$

सारणी 2.3: 01 जनवरी, **2020 से 31 दिसम्बर**, **2021 तक विधिमान्य स्टार रेटिंग बैंड**

क्र. सं.	स्टार रेटिंग बैंड	तुलनात्मक ऊर्जा खपत (सीईसी) मानदण्ड
(1)	(2)	(3)
1.	1 स्टार *	$0.211^* \mathbf{V}_{adj_tot_dc} +177 \leq CEC < 0.264^* \mathbf{V}_{adj_tot_dc} +221$
2.	2 स्टार * *	$0.169^* \mathbf{V}_{adj_tot_dc} +141 \leq CEC < 0.211^* \mathbf{V}_{adj_tot_dc} +177$
3.	3 स्टार * * *	$0.135^* \mathbf{V}_{adj_tot_dc} +113 \leq CEC < 0.169^* \mathbf{V}_{adj_tot_dc} +141$
4.	4 स्टार * * * *	$0.108^* \mathbf{V}_{adj_tot_dc} +90 \leq CEC < 0.135^* \mathbf{V}_{adj_tot_dc} +113$
5.	5 स्टार * * * * *	$CEC < 0.108^* \mathbf{V}_{adj_tot_dc}+90$”;

(iii) उप पैरा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) सारणी 2.3 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पूर्व स्टार स्तर योजना का पुनर्विलोकन किया जाएगा और इसके बाद प्रत्येक दो वर्ष में स्टार स्तर योजना का पुनर्विलोकन किया जाएगा।"

[फा. सं. 13/13/2018-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1899(अ) तारीख 26 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2018

S.O. 6244(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power, number S.O. 1899(E), dated the 26th May, 2016, namely :-

In the said notification, in paragraph 2,-

(i) for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -

"(1) The star level of the household direct cool refrigerator shall be determined on the basis of star level parameters, constant multiplier (kWh/litre/year) - k_{dc} and constant fixed allowance (kWh/Year)- $c_{dc,}$ which shall be obtained from Table 2.1 or Table 2.2 or Table 2.3 provided in sub-paragraph (2), depending on the year of manufacturing or commercial purchase or sale as specified in Table A under sub-paragraph(2).";

(ii) for sub-paragraph (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) The comparative energy consumption (CEC) and total adjusted storage volume for household direct cool refrigerator ($\mathbf{V}_{adj_tot_dc}$) shall be used to determine the star rating band and star rating of the model.

Star Rating Band (SRB)$_{dc}$ = $\mathbf{k_{dc}} * \mathbf{V}_{adj_tot_dc} + \mathbf{c_{dc}}$

Where,

$\mathbf{k_{dc}}$ = Constant multiplier (kWh/litre/Year)

$\mathbf{V}_{adj_tot_dc}$ = Total adjusted storage volume for household direct cool refrigerator (litre)

$\mathbf{c_{dc}}$ = Constant fixed allowance (kWh/Year)

TABLE A

S. No.	Period of Product manufacturing or import or sale	Table to be used for determining star level to a product
(1)	(2)	(3)
1.	26th May, 2016 to 31st December, 2016	2.1
2.	1st January, 2017 to 31st December, 2019	2.2
3.	1st January, 2020 to 31st December, 2021	2.3

EFR
Original Regulation 14(d)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2009/आषाढ़ 16, 1931
No. 115] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2009/ASADHA 16, 1931

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2009

सं. 2/11(5)/03-बी.ई.ई. 4.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 नामक प्रारूप विनियमों को, भारत के राजपत्र असाधारण भाग III, खण्ड 4, तारीख 12 जनवरी, 2009 में अधिसूचना सं0 2/11(5)/03–बीईई–4, तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त प्रारूप विनियमों की प्रतियां जनता को 12 जनवरी, 2009 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

और इस सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः अब ब्यूरो, उक्त अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के साथ पठित, धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 अभिप्रेत है।

(ख) "लेबल" से कोई लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुद्रांकित या चित्रित विषय अभिप्रेत है जो घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक पर चिपकाया गया है या प्रकट है;

(ग) "मॉडल" किसी विशेष ब्रान्ड की मॉडल श्रृंखला, जिस पर एक ही परीक्षण रिपोर्ट लागू होती है और जहां पर प्रत्येक मॉडल की भौतिक विशेषताएं, तुलनात्मक ऊर्जा खपत, ऊर्जा दक्षता रेटिंग तथा निष्पादन अभिलक्षण एक ही होते हैं और उसमें "मॉडल परिवार" सम्मिलित है, अभिप्रेत है;

(घ) "भिन्न मॉडल" से अभिप्रेत है, किसी मॉडल का जिसके बिक्री विनिर्देश, मॉडल संख्या और नाम वही है जो किसी और मॉडल के हैं और इसका निष्पादन स्तर भी वही है सिवाय इसके कि इसकी प्रक्षिप्त वार्षिक ऊर्जा खपत भिन्न है और इसीलिए इसका सितारा रेटिंग भिन्न हो सकती है।

(ङ) "घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक" से अभिप्रेत है, ऐसा प्रशीतक, जिसमें फ्रास्ट फ्री प्रणाली हो और जिसमें शीतलन प्राणोदित वायु संचरण विधि द्वारा किया जाता है और वाष्पक स्वचालित डिफ्रास्ट प्रणाली द्वारा होते हैं इसके अभिलक्षण भारतीय मानक 15750:2006 के खण्ड 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.13 एवं 3.1.5 में निर्दिष्ट हैं।

(च) "सितारा रेटिंग या सितारा स्तर" से घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक की ऊर्जा दक्षता को अंकित करने के लिए ऊर्जा खपत पर आधारित धरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबल पर संप्रदर्शित ऊर्जा दक्षता की श्रेणी अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदो के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं।

3. **लेबल पर संप्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियां – (1)** प्रत्येक घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियां संप्रदर्शित की जाएगी, अर्थात्–

(i) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का लोगो;

(ii) विनिर्माता या आयातकर्ता का नाम और ब्रांड;

(iii) सकल आयतन;

(iv) भंडारण आयतन;

(v) मॉडल तथा विनिर्माण या आयात का वर्ष;

(vi) प्राधिकार संख्या;

(vii) ऊर्जा खपत यूनिट प्रति वर्ष में;

(viii) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक का सितारा स्तर।

(2) डिजाइन, रंग, आकार और लेबल की अंतर्वस्तु वह होगी जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

4. **लेबलों को प्रदर्शित करने की समय–सीमा –** विनियम 3 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों वाले लेबल को इन विनियमों के प्रवर्तन में आने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, प्रत्येक घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक पर प्रदर्शित किया जाएगा।

5. **लेबल के संप्रदर्शन की रीति –(1)** प्रत्येक घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबल पर पैमाना बिन्दु पर विक्रय के समय संप्रदर्शित किया जाएगा और ऐसा लेबल उस पर संप्रदर्श फ्रंट पर लटकते हुए टैग के रूप में चिपकाया या संलग्न किया जाएगा।

(2) जो यूनिटें संप्रदर्शन नहीं कर रही हैं, वहां लेबल मंजूषा के बाहरी भाग पर संलग्न किया जा सकेगा और यूनिट में तभी लेबल संलग्न किया जा सकेगा जब उसकी पैकिंग से यूनिट हटा दी गई हो या लेबल को उपभोक्ता या उपभोक्ता को दिए गए दस्तावेजों के भाग के रूप में सम्मलित किया गया हो।

अनुसूची

(विनियम 3 (2) देखिए)

घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियों के ब्यौरे –

(1) लेबल डिज़ाईन (अभिकल्प), आकार, रंग योजना और लेबल की अंतर्वस्तु में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –

(i) लेबल का विमिय अभिकल्प निम्न प्रकार होगा, अर्थात्–

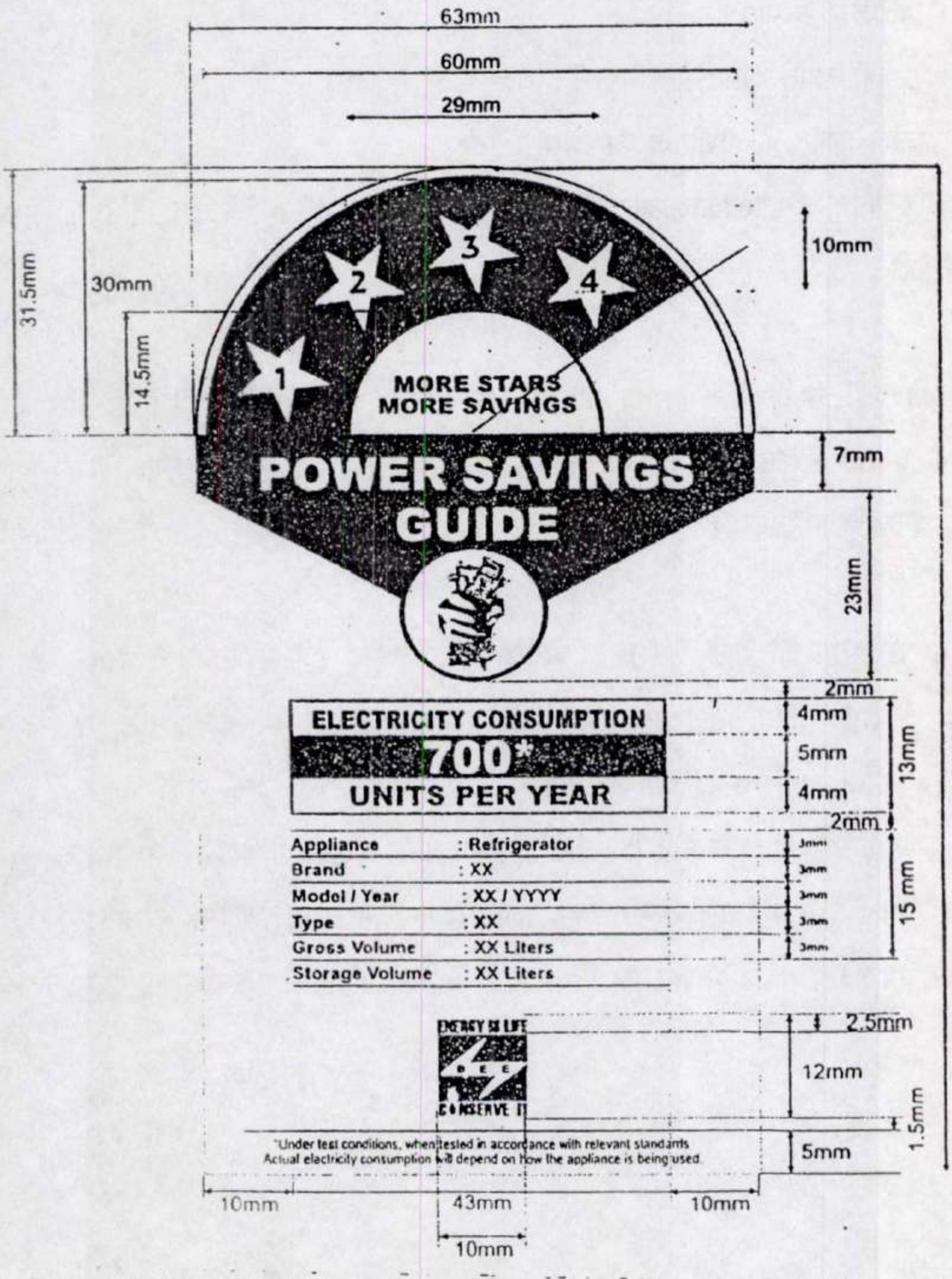

(ii) लेबल की रंग–योजना इस प्रकार होगी, अर्थात्–

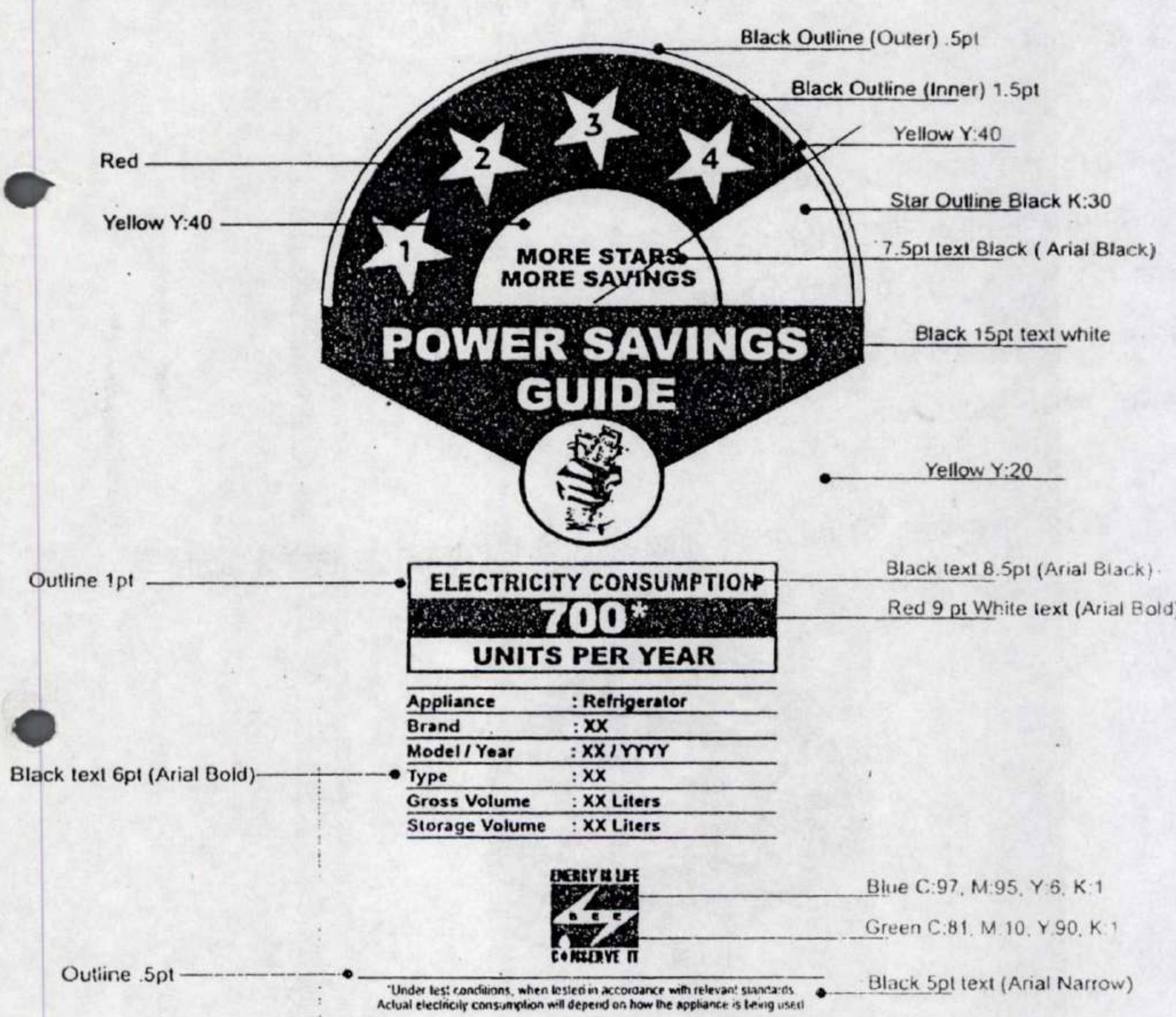

2379 GI/09-2

(iii) ब्यूरो के लोगो (प्रतीक चिह्न) की रंग योजना इस प्रकार होगी, अर्थात्–

नीला

रंगत (H): 239° संतृप्ति (S): 64%, चमकीलापन (B): 59%

ज्योतिर्मयता अथवा हल्कापन (L): 28 रंग संबंधी घटक a:24 b:54

लाल (R): 54 हरा (G): 55 नीला (B): 151

सायन (C): 97% मेजेन्टा (M): 95% पीला (Y): 6% काला (K): 1%

वेब रंग कोड –#363797

हरा

रंगत (H): 150° संतृप्ति (S): 10%, चमकीलापन (B): 67%

ज्योतिर्मयता अथवा हल्कापन (L): 61 रंग संबंधी घटक a:53 b:32

लाल (R): 0 हरा (G):170 नीला (B): 87

सायन (C): 81% मेजेन्टा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1%

वेब रंग कोड –#00AA56

(iv) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के मुद्रित लेबल के लिए पूरा नमूना निम्न है, अर्थात्–

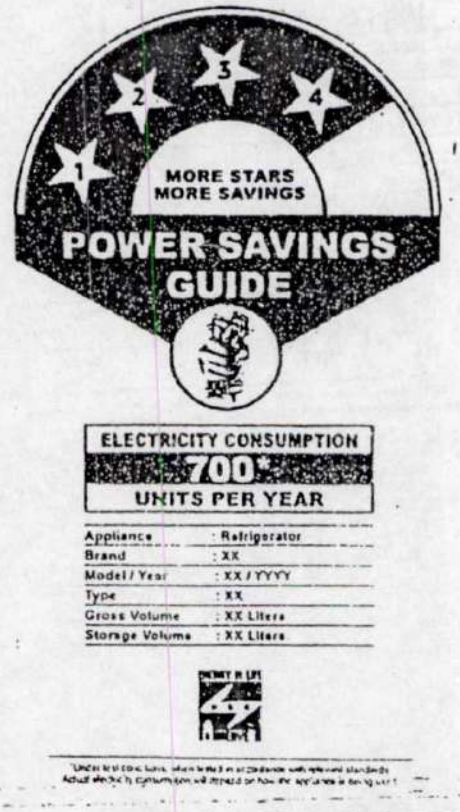

(2) लेबल की सामग्री टिकाऊ गत्ते की होनी चाहिए, यदि इसे झूलने वाले टैग की तरह लगाना है अथवा चिपकाना है।

अजय माथुर, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/185/09-असा.]

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2009

No. 2/11(5)/03-BEE. 4.—Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009, were published *vide* notification number 2/11(5)/03-BEE.-4, dated 12th January, 2009, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 12th January, 2009, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on the 12th January, 2009;

And whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

And whereas the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (d) of section 14 of the said Act, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition. –(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001;

(b) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, household frost free refrigerator;

(c) "models" mean the range of models of one particular brand to which a single set of test reports is applicable and where each of the models has the same physical characteristics, comparative energy consumption, energy efficiency rating and performance characteristics and includes family of models;

(d) "Model variant" means a model which has the same sales specification, model number and designation as another model, and offers the same level of performance except that it has different projected annual energy consumption and may have a different star rating;

(e) "household frost free refrigerators" mean refrigerators with frost free system in which cooling is provided by forced air circulation and the evaporators are defrosted by an automatic defrosting system and shall include the systems and characteristics specified in clauses 3.1,3.1.1,3.1.2,3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.3 and 3.1.5 of IS 15750:2006;

(f) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of household frost free refrigerator on the basis of comparative energy consumption with reference to fixed volume.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on the label.- (1) On every household frost free refrigerator, the following particulars shall be displayed, namely:-

(i.) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
(ii.) name of manufacturer or importer and brand;
(iii.) gross volume;
(iv.) storage volume;
(v.) model and year of manufacturing or import;
(vi.) authority number:
(vii.) electricity consumption in units per year ;
(viii.) star level of household frost free refrigerator.

(2)The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.- A label containing particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every household frost free refrigerator within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

5 Manner of display of label.- (1) Every household frost free refrigerator shall display label at the time of sale and such label shall be either adhered to, or attached as a swing tag, on it.

(2) For units not on display, the label may be attached to the exterior of the casing and the label may be attached to the unit when the unit is removed from its packaging or the label may be included as a part of the documentation given to the customer or user.

Schedule

[See regulation 3(2)]

Details of particulars to be displayed on labels of household frost free refrigerators.

(1.) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include -

(i) the following dimensional design of label ,namely:-

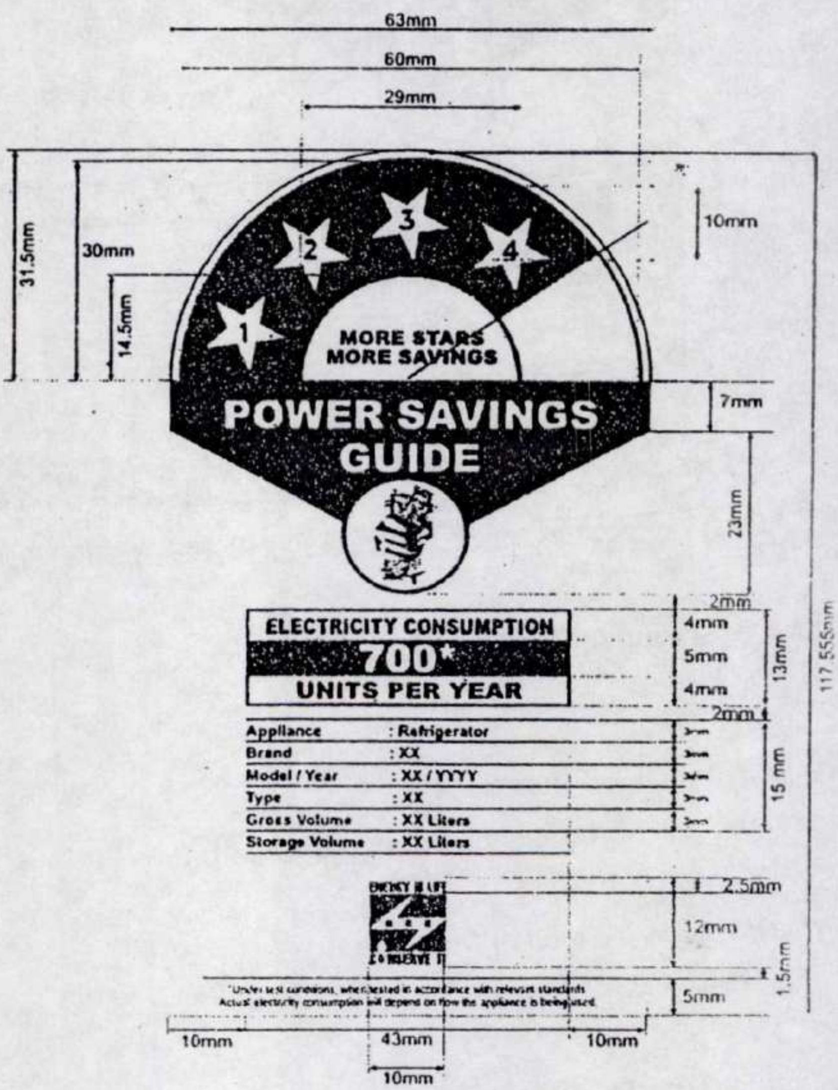

2379 GI/09-3

(ii.) The following colour scheme for the label, namely:-

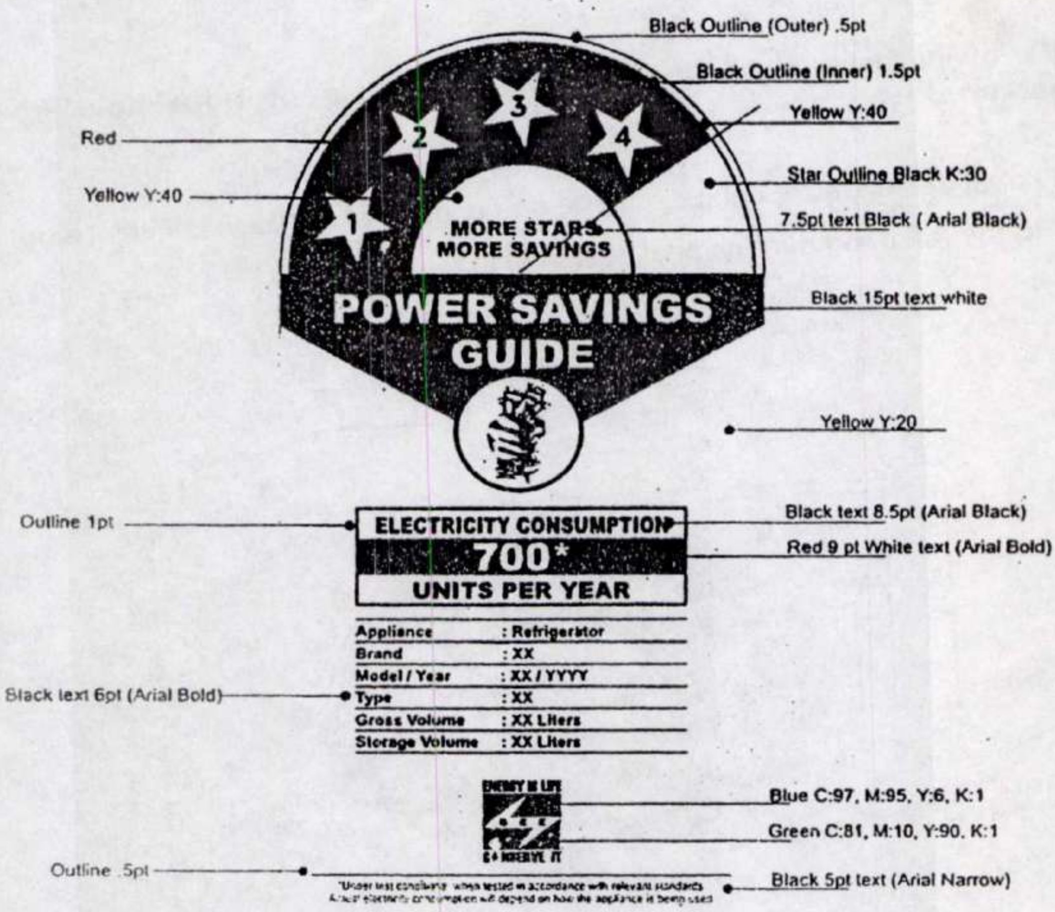

(iii) the following colour scheme for Bureau's logo, namely:-

BLUE –c

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%

Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56;

(iv) the following complete specimen of a printed label for household frost free refrigerator, namely:-

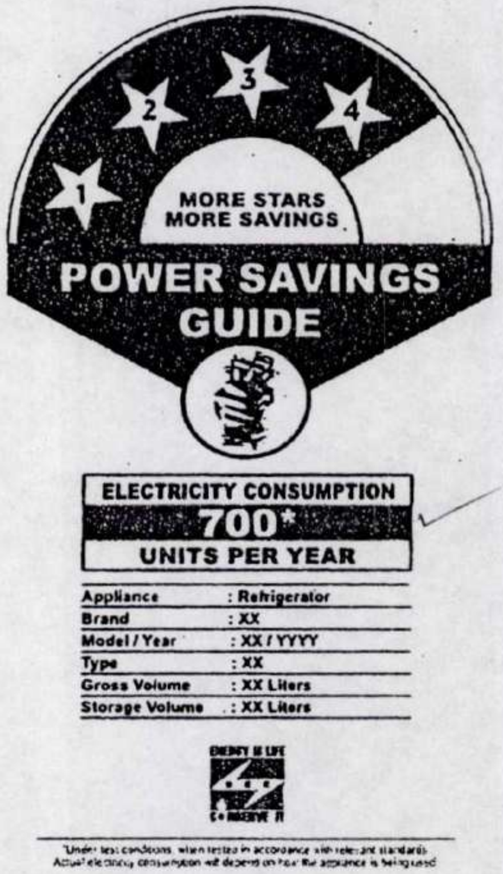

(2) Material of the label shall be of durable cardboard if it is to be attached as a swing tag or be self-adhesive.

AJAY MATHUR, Director General

[ADVT.-III/4/185/09-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Amendment - 1 - 14(d) (FFR)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2010/पौष 15, 1931
No. 7] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2010/PAUSA 15, 1931

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2010

सं. 2/11(5)/03-बीईई-4.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2009 का प्रारूप, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 9 नवम्बर, 2009 में सं. 2/11(5)/03-बीईई-4, तारीख 5 नवम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था ;

और उक्त प्रारूप विनियमों की राजपत्र प्रतियां पूर्वोक्त राजपत्र में 9 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित करा दी गई थीं;

और पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उक्त ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,—

(क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक)" "प्ररुप" से इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररुप अभिप्रेत हैं,

(ख) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) "अनुज्ञा-पत्र धारी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको विनियम 7 के अधीन अनुज्ञा मंजूर की गई है;";

3.मूल विनियम में विनियम 5, के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"6. लेबल कें संप्रदर्श के लिए अनुज्ञा--(1) ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्ति के बिना कोई लेबल घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर नहीं लगाया जाएगा ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवेदन प्ररूप । या इलेक्ट्रानिक रुप में किया जाएगा ।

परन्तु घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के प्रत्येक मॉडल के लिए पृथक आवेदन किया जाएगा ।

(3) उपविनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित लगे होंगे-

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट या संदाय के किसी इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा संदेय एक हजार रुपए की आवेदन फीस ;

(ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संदेय एक लाख रुपए का लेबल प्रतिभूति फीस या संदाय किसी इलेक्ट्रानिक ढंग से ; और

(ग) उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेज ।

7. अनुज्ञा की मंजूरी-(1) विनियम 6 के अधीन प्राप्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उसमें सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है । ब्यूरो इस प्रकार प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर विनियम 8 में विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन प्ररुप 2 या इलेक्ट्रानिक प्ररुप में घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर लेबल चिपकाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा जारी करेगा ।

(2) ब्यूरो प्ररुप 3 में रजिस्टर रखेगा और उसमें अनुज्ञा-पत्र धारी का नामं रजिस्टर करेगा ।

(3) उपविनियम (1) के अधीन इस प्रकार मंजूर की गई अनुज्ञा, तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और जिसे तीन वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा ।

(4) अनुज्ञा के नवीकरण के लिए कोई आवेदन इसकी समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व किया जाएगा और उसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट में या संदाय के इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा संदेय पांच सौ रुपए की फीस लगी होगी ।

(5) उपविनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर और यह समाधान हो जाने पर कि इसमें साथ सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो ऐसी प्राप्ति के एक मास की अवधि के भीतर प्ररुप 2 में अनुज्ञा की नवीकरण कर सकेगा ।

8. लेबल पर विशिष्टियों को प्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्तें--प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा, अंर्थात् :--

(क) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर अधिनयम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा ।

(ख) लेबल केवल ऐसे घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के मॉडल पर चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा की मंजूरी दी गई है ;

(ग) अनुज्ञा-पत्र धारी अपनी लागत पर लेबल को मुद्रित करेगा और घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर चिपकाएगा ;

(घ) अनुज्ञा-पत्र धारी यह सुनिश्चित करेगा कि घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर हर समय अनुरक्षित रखा जाता है ;

(ङ) आवेदक विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करेगा ;

(च) अनुज्ञा-पत्र धारी लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरों से अंतर्विष्ट एक विवरण और वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही के आगामी समापन के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय उद्‌भूत लेबल की फीस प्रस्तुत करेगा ।

(छ) अनुज्ञा-पत्र धारी ऐसे अन्य निबंधन और शर्तों का पालन करेगा जिसे ब्यूरो विनिर्दिष्ट करें ।

9. लेबल फीस-(1) प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी ब्यूरो को घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों इस प्रकार चिपकाए गए लेबल पर दस रुपए की लेबल फीस का संदाय करेगा ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक रूप से संदाय की जाएगी :

परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहने पर विनियम 6 के उपविनियम (3) के खंड (ख) के अधीन ब्यूरो लेबल प्रतिभूति फीस से उस पर दस प्रतिशत ब्याज सहित संदत्त शोध्य रकम वसूल कर सकेगा ।

10. लेबल प्रतिभूति फीस का प्रतिदाय—विनियम 9 के उपविनियम (2) के परंतुक के अध्यधीन, घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों का विनिर्माण ना होने पर अनुज्ञा-पत्र धारी लेबल प्रतिभूति के संदाय का हकदार होगा ।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन--(1) ब्यूरा, स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों सितारा स्तर और लेबल पर प्रदर्शित अन्य विशिष्टियों के अनुरूप और अनुज्ञा के अन्य निबंधन और शर्तों का अनुपालन करता है ।

(2) जहां उपविनियम (1) के अधीन प्राप्त की गई शिकायत का ब्यूरो द्वारा सत्यापित किसी प्रयोगशाला में घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों का परीक्षण अपेक्षित है वहां ऐसे परीक्षण करने के लिए समनुदेशिती को सूचना जारी की जाएगी और शिकायतकर्ता से ब्यूरो के पास परीक्षण, परिवहन और अन्य आनुषंगिक व्यय से संबंधित, जो ब्यूरो द्वारा अग्रिम में अवधारित किए जाएं ऐसे व्यय जमा करने के लिए कहा जाएगा ।

(3) जहां परीक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के नमूने परीक्षण में असफल हो जाते हैं, वहां ब्यूरो अनुज्ञा-पत्र धारी अपनी लागत पर घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के प्रथम परीक्षण नमूनों की दुगनी मात्रा सहित दूसरा परीक्षण को संचालित करेगा ।

(4) जहां दूसरा परीक्षण भी असफल हो जाता है, वहां ब्यूरो यह निदेश देगा कि अनुज्ञा-पत्र धारी दो मास की अवधि के भीतर,--

(क) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर को शुद्ध करेगा या परीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों और कमियों को दूर करेगा ;

(ख) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा ; और

(ग) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन करेगा ।

(5) जहां अनुज्ञा-पत्र धारी उपविनियम (4) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां ब्यूरो,--

(क) अनुज्ञा वापस ले लेगा ;

(ख) उपभोक्तओं को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जो वह उपयुक्त समझे ;

(ग) अधिनियम की धारा 27 के अधीन ऐसे अनुज्ञा-पत्र धारी के विरुद्ध न्यायनिर्णायक कार्रवाइयां आरंभ करेगा ।

12. अनुज्ञा का रद्दकरण—ब्यूरो, विनियम 7 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा को वापस ले सकेगा यदि अनुज्ञा-पत्र धारी,--

(क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किन्ही निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है ;

(ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहता है ।

अजय माथुर, महानिदेशक
[विज्ञापन III/4/असा./185/2009]

प्ररुप 1

[विनियम 6 देखिए]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के अधीन घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन ।

सेवा में,
महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन
सेक्टर-1, आर.के.पुरम
नई दिल्ली-110066
भारत

मैं/हम जो घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के विनिर्माणकर्ता हूं/हैं...में (कारोबार का पूरा नाम).......................................अभिनाम से (व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम) कारोबार चला रहा हूं/चला रहे हैं इसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के अधीन उपाबंध क में परिभाषित वितरण ट्रांसफार्मरों के संबंध में ब्यूरो द्वारा विहित लेबल के उपयोग के लिए प्राधिकार के समनुदेशन के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं ।

2. निर्माणकारी सुविधा : उपर्युक्त उपस्कर का...(कंपनी का नाम) द्वारा और...(कारखाने का नाम और पता) में विनिर्माण किया जाता है ।

3. जानकारी का ब्यौरा : उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, परिक्षण के लिए प्रमाण पत्र उत्पाद लेबल से संबंधित जानकारी के ब्यौरे उपाबंध क में दिए गए हैं । फर्मों या सोसाइटियों के रजिस्ट्रार/उद्योग निदेशक (लघु उद्योग की इकाइयों की दशा में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र या फर्म के नाम तथा इसके विनिर्माणकारी परिसरों को अधिप्रमाणित करने वाले उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की एक फोटो प्रति संलग्न की जाती है ।

क) आवेदक : ....को (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म/आदि की ओर से इस आवेदन को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और वह इस आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगा ।

ख) संपर्क व्यक्ति : ....को (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए संपर्क व्यक्ति प्राधिकृत किया जाता है ।

ग) मैं/हम ऊपर (क) या (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन को जैसे ही यह होता है, ब्यूरो को संसूचित करने का वचन देता हूं/देते हैं ।

4. क्वालिटी मानकों से अनुरुपता : मैं/हम..(उपस्कर का नाम) के लिए...को (अधिसूचना का नाम) अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट भा.मा./अन्य (मानक का नाम और संख्या)...के अनुसार क्वालिटी प्रणाली/अन्य मानकों (मानक का नाम ओर संख्यां) के संबंध में भारतीय मानक/अन्य अंतराष्ट्रीय मानक ब्यूरो की पुष्टि करता हूं/हैं । उपर्युक्त उपस्कर के संबंध में अनुज्ञप्ति/प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जाती है ।

मेरे /हमारे पास उपस्कर की क्वालिटी में सघनता सुनिश्चित करने के लिए ....स्थित प्रयोगशाला के ब्यौर :

क) परीक्षण ब्यौरे : (परीक्षण प्रक्रियाएं/नाम/संख्या)

ख) प्रत्ययन प्रास्थिति :

ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन :

5. उक्त उपस्कर का उत्पादन और विक्रय के आंकड़े तथा उनका मूल्य मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार तथा प्राक्कलन निम्न प्रकार से हैं :

वर्ष	उत्पादन	विक्रय	उपस्कर का अधिकतम फुटकर मूल्य (रुपए)
पिछले वर्ष.................. से.......................तक चालू वर्ष.................... से.......................तक (प्राक्कलन)			

6. (क) डीडी सं0......................तारीख........................../इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा एक हजार रुपए........... की आवेदन फीस संदत्त की गई हैं ।

(ख) डीडी सं0...........................तारीख........................./इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा एक लाख रुपए.............. की लेबल प्रतिभूति फीस संदत्त की गई है ।

(ग) प्रति लेबल 10 रु0 प्रति लेबल संदाय करने के लिए मैं सहमत हूं/हैं

7.मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधन और शर्तों का अनुपालन करता हूं/करते हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी जांच के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाओं का विस्तार करने के लिए सहमत हूं/हैं ।

8. मैं/हम सत्यापन तथा चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को प्राधिकृत करता हूं/करते हैं और इस बाबत ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं ।

9. मैं/हम वचनबंध करता हूं/करते हैं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में आवेदन में दी गई जानकारी सही है और अगर दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन अस्वीकृत किया जाए ।

तारीख..हस्ताक्षर..(वर्ष)

नाम..

पदनाम..

....

(फर्म का नाम)

....

के लिए और उसकी ओर से

फर्म की मुद्रा

....

उपाबंध
(प्ररूप 1 का पैरा 3 देखिए)
जानकारी के ब्यौरे

1. उपस्कर के ब्यौरे

उपस्कर और प्रकार
ब्रांड
मॉडल नाम/संख्या
सकल आयतन
भंडारित आयतन
विनिर्माण का वर्ष
भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणपत्र का ब्यौरा (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)
क्वालिटी प्रणाली प्रमाणपत्र के ब्यौरा (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)
ऊर्जा उपभोग (यूनिट प्रति वर्ष) (सीईसी) वांट में

क्रम सं0	मॉडल का नाम और संख्या	मापा गया मूल्य				रेटेड मूल्य			
		सकल आयतन	भंडारित आयतन	ऊर्जा उपभोग (युनिट/वर्ष)	मापी गई सितारा स्तर या ऊर्जा दक्षता	सकल आयतन	भंडारित आयतन	ऊर्जा उपभोग (युनिट/वर्ष)	मापी गई सितारा स्तर या ऊर्जा दक्षता

2. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम	
पता	
पिनकोड	
राज्य	
फोन नं0	
फैक्स नं0	
ई-मेल	
वेब साइट	

3.विनिर्माण सुविधा के ब्यौरे

पता	
पिनकोड	
राज्य	
फोन नं0	
फैक्स नं0	
ई-मेल	
वेब साइट	
कोई अन्य ब्यौरे	

4. परीक्षण के ब्यौरों के लिए प्रमाणन

परीक्षण मानक का नाम, संख्या और वर्ष	
परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन प्रस्थिति (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं0	
फैक्स नं0	
ई-मेल	
वेब साइट	

5. उत्पाद के ब्यौरे

प्रारंभ की तारीख	
बीईई के लिए आवेदन किए गए लेबलों की संख्या	
प्रथम वर्ष के लिए-	
दूसरे वर्ष के लिए-	
तीसरे वर्ष के लिए	
उत्पाद क्रम सं0	..............................से......................................तक
परीक्षण रिपोर्ट	
नमूना रिपोर्ट	

6. लेबल के ब्यौर

उपस्कर	
प्रकार	
विनिर्माता/आयातकर्ता/ब्रांड का नाम	
मॉडल नाम/संख्या	
सितारा स्तर	
सकल आयतन	
भंडारित आयतन	
विनिर्माण का वर्ष	
ऊर्जा उपभोग (युनिट प्रति वर्ष) (सीईसी) वाट में	

7.संदाय के ब्यौरे यदि अग्रिम में संदाय करना प्रस्तावित है (वैकल्पिक)

लेबलों की संख्या	प्रति इकाई लेबल लगाने की फीस	कुल रकम/संदाय के ब्यौरे
		रकम : क्रॉस किए गए बैंक ड्राफ्ट के ब्यौरे तारीख :

तारीख

हस्ताक्षर............................

नाम...............................

पदनाम............................

..................के लिए और उसकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुद्रा

प्ररुप 2

(विनियम 7 देखिए)

अनुज्ञा/अनुज्ञा का नवीकरण

सं...............................

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

नई दिल्ली, तारीख

सेवा में

....

....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरों (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम,2009 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरों इस उपाबद्ध में दिए गए अनुमोदन के ब्यौरों के अनुसार लेबल लगाने के लिए अनुज्ञात करता है ।

2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अध्यधीन है–

(क) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लिए के लेबल पर दर्शित सितारा स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लिए ऊर्जा खपत मानक के रूप होगा ;

(ख) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के केवल ऐसे मॉडलों पर लेबल लगाया जाएगा जिसमें लिए अनुज्ञा की मंजूरी दी गई है ;

(ग) अनुज्ञा-पत्र धारी की लागत पर घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर लेबल की मुद्रित किया जाएगा और लगाया जाएगा ।

(घ) अनुज्ञा-पत्र धारी यह सुनिश्चित करेगा कि घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबल पर सितार स्तर को हर समय अनुरक्षित किया जाएगा ;

(ङ) अनुज्ञा-पत्र धारी प्रति लेबल दस रुपए की लेबल फीस का संदाय करेगा ;

(च) अनुज्ञा-पत्र धारी, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत के आगामी मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरे और उद्‌भूत देय लेबल फीस का विवरण ब्यूरों को प्रस्तुत करेगा और वही ब्यौरे ब्यूरो को स्वाचालित प्रणाली से भी प्रस्तुत किए जाएंगे ;

(छ) अनुज्ञा-पत्र धारी घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के ऐसे अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराएगा जैसा जब ब्यूरो चाहे, जिसके लिए अनुज्ञा को मंजूरी दी गई हैं ।

3. यह अनुज्ञा..........................से..................................तक विधिमान्य होगी और इसे और यथाविहित रूप में नवीकृत किया जा सकेगा । आप ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के सिवाय अनुज्ञा की विधिमान्य अवधि के दौरान बाजार से घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों को वापस नहीं लेंगे ।

4. उपस्कर के लिए एकल लेबल श्रंखला............................हं आंर इसे लंबल पर अनुमोदित डिजाइन के अनुसार प्रकट होना चाहिए ।

5. जहां पुनर्विलोकन पर सितारा स्तर योजना को ब्यूरो द्वारा संशोधित किया जाता है और घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों का सितारा स्तर संशोधित हो जाता है, वहां आवेदक नयी अनुज्ञा प्राप्त करेगा ।

6. तारीख..............................को हस्ताक्षरित किया गया और मुहर बंद किया गया ।

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

(प्ररुप 2 का पैरा 1 देखिए)

अनुमोदन के ब्यौरे

1. उपस्कर के ब्यौरे

उपस्कर और प्रकार
ब्रांड
मॉडल नाम/संख्या
सकल आयतन
भंडारित आयतन
विनिर्माण का वर्ष
ऊर्जा उपभोग (यूनिट प्रति वर्ष) (सीईसी) वाट में

क्रम सं0	मॉडल का नाम और सं0	मापा गया मूल्य				रेटेड मूल्य			
		सकल आयतन	भंडारित आयतन	ऊर्जा उपभोग (युनिट/वर्ष)	मापी गई सितारा स्तर या ऊर्जा दक्षता	सकल आयतन	भंडारित आयतन	ऊर्जा उपभोग (युनिट/वर्ष)	मापी गई सितारा स्तर या ऊर्जा दक्षता

2. लेबल के ब्यौरे

उपस्कर
सितारा रेटिंग/सितारा स्तर
प्रकार
मेक/विनिर्माणकर्ता/आयातकर्ता/ब्रांड मानक
मॉडल नाम/संख्या
सितारा स्तर
सकल आयतन
विनिर्माण का वर्ष
यूनीक लेबल श्रंखला कोड
ऊर्जा खपत (युनिट प्रतिवर्ष) (सीईसी) वाट में

3. घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर लगाए जाने वाले मुद्रित लेबल का अनुमोदित नमूना

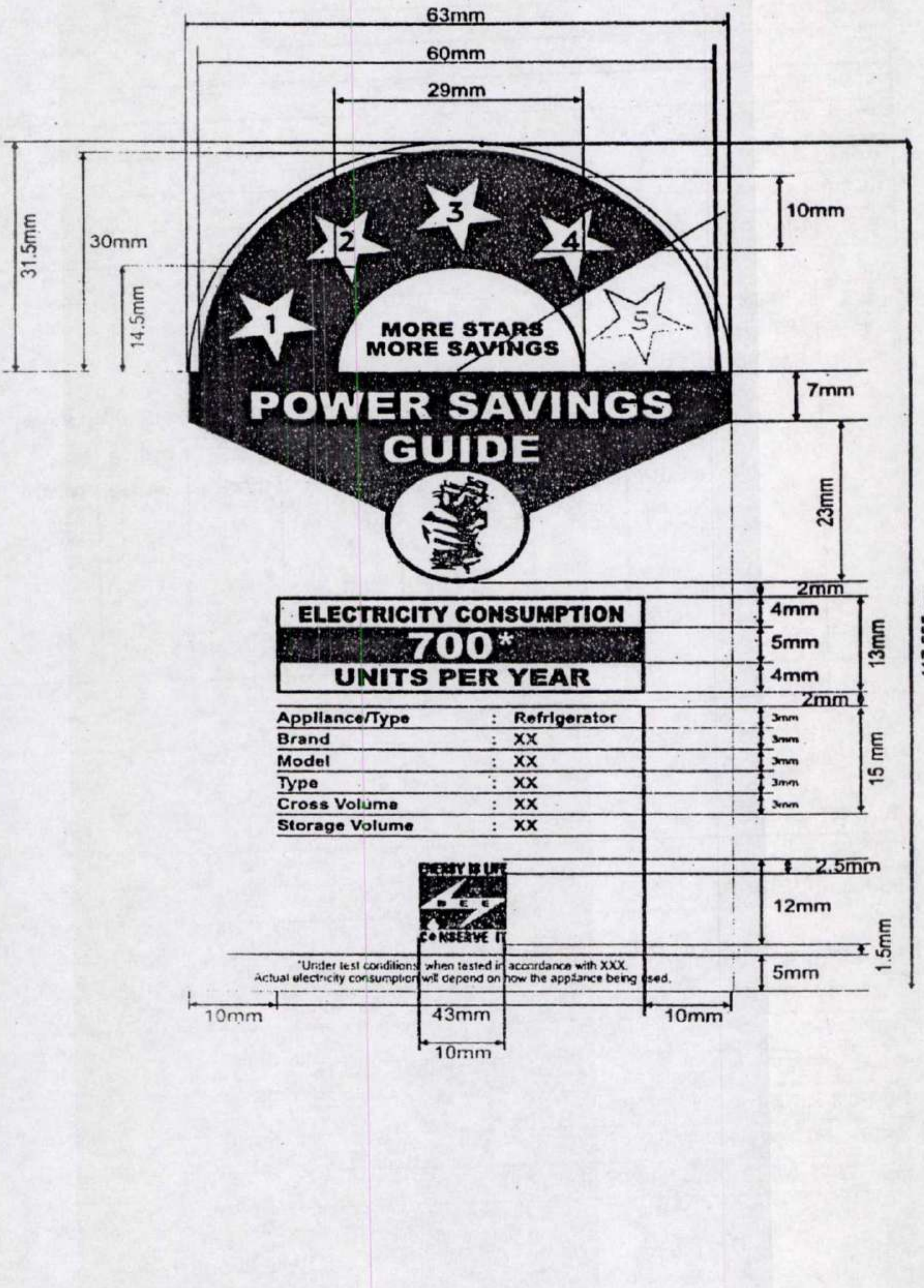

पत्र में यूनिक लेबल श्रंखला कोड दिया गया है जिसे घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर लगाए गए लेबल पर उल्लिखित किया जाता है ।

4. लेबल डिजाइन, आकार, रंग स्कीम और लेबल की अंर्तवस्तु तथा ब्यूरो लोगों की रंग स्कीम को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 की अनुसूची के यथा विनिर्दिष्ट होगी ।

तारीख

हस्ताक्षर.........................

नाम.............................

पदनाम..........................

..................के लिए और उसकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुद्रा

प्ररुप 3

[विनियम 7(2) देखिए]

अनुज्ञा-पत्र धारियों का रजिस्टर

क्रम सं0	आवेदन पत्र संख्यां और अनुज्ञा-पत्र की तारीख	अनुज्ञा-पत्र धारी का नाम और ब्यौरे (संपर्क व्यक्ति, पता पिन कोड राज्य, फोन नं0 फैक्स नं0, ई-मेल, वेबसाईट)	उपस्कर के ब्यौरे जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है ।	घोषित सितारा स्तर या दक्षता स्तर	बीईई अनुज्ञा संख्या और यूनिक लेबल श्रंखला	वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है
1	2	3	4	5	6	7

लेबल प्रतिभूति की सभी रकम	क्रास डिमांड ड्राफ्ट (ब्यौरे) इलेक्ट्रानिक संव्यवहार (ब्यौरे) द्वारा प्राप्त लेबल प्रतिभूति फीस : तारीख :	आवेदन फीस, प्राप्त रकम का ब्यौरा (क्रास डिमांड ड्राफ्ट ब्यौरा/इलेक्ट्रानिक संव्यवहार ब्यौरे : तारीख :
8	9	10

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लगाए गए लेबल की संख्या	देय लेबल फीस की रकम	लेबल फीस, प्राप्त रकम का ब्यौरा (क्रास डिमांड ड्राफ्ट ब्यौरे/इलेक्ट्रानिक संव्यवहार ब्यौरा) ; तारीख :)	टिप्पणियां
11	12	13	14

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2010

No. 2/11(5)/03-BEE-4.—Whereas the draft of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Amendment Regulations 2009, was published vide number 2/11(5)/03-BEE-4, dated the 5th November,2009 in Part III, Section 4, of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th November 2009, as required under sub-section (1) of Section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty- five days from the date of publication in the official gazette;

And whereas Gazette copies of the said draft regulations were published in the aforesaid Gazette on the 9th November, 2009;

And whereas no objection or suggestion has been received from the public with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of section 58 of the said Energy Conservation Act, the Bureau of Energy Efficiency with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Amendment Regulations, 2010.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1),-

(a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa)" Form" means a form appended to these regulations;";

(b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ca) permittee" "means a person to whom permission has been granted under regulation 7;";

3 In the principal regulations, after regulation 5, the following regulations shall be inserted, namely:-

"6. Permission for display of label.- (1) No label shall be affixed on a household frost free refrigerator without obtaining the permission for of the Bureau.

(2) For the purpose of obtaining permission of the Bureau under sub-regulation (1), an application shall be made in Form-I or in electronic Form;

Provided that separate application shall be made for each model of household frost free refrigerator;

(3) Every application under sub-regulation (2) shall be accompanied by –

(a) an application fee of rupees one thousand payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment;

(b) a label Security Fee of rupees one lakh payable demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment;

(c) documents specified therein.

7. Grant of permission.-(1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, grant, subject to such terms and conditions as are specified in regulation 8, permission, for affixing label on household frost free refrigerator in Form-II or in electronic form.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form-III and enter the name of permittee therein.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for a period of three years and may be renewed for a further period of three years by the Bureau.

(4) An application for renewal of permission shall be made at least three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees five hundred payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment.

(5) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.

8. Terms and conditions for display of particulars on label. - Every permittee shall comply with the following terms and conditions, namely:-

(a) The star level displayed on the label of household frost free refrigerator shall conform to energy consumption standards for household frost free refrigerator notified under clause (a) of section 14 of the Act;

(b) the label shall be affixed only on such model of household frost free refrigerator for which permission has been granted;

(c) the label shall be printed and affixed on the household frost free refrigerator at the cost of the permittee;

(d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the label of household frost free refrigerator shall be maintained at all time;

(e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;

(f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;

(g) the permittee shall comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify.

9. Label Fee. – (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of rupees ten on each label affixed on the household frost free refrigerator.

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. from the Label Security Fee paid under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6.

10. Refund of Label Security Fee: Subject to the proviso to sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the Label Security Fee on ceasing to manufacture household frost free refrigerator.

11. Verification by the Bureau - (1) The Bureau may, either suo motu, or on the complaint received by it, carry out verification to ensure that the household frost free refrigerator conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

(2) Where upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification, by testing the household frost free refrigerator in a laboratory, a notice shall be issued to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by it.

(3) Where samples of household frost free refrigerator used for testing fails the test, the permittee shall be afforded another opportunity and the Bureau shall conduct a second test with twice the quantity of household frost free refrigerator used in the first test, at the cost of the permittee.

(4) Where the second test also fails, the Bureau shall direct that the permittee shall, within a period of two months,-

(a) correct the star level displayed on the label of the household frost free refrigerator or remove the defects and deficiencies found during testing;

(b) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(c) change the particulars displayed on advertising material.

(5) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (4), the Bureau shall –

(a) withdraw the permission ;

(b) notify the consumers in such manner as it deems fit;

(c) initiate adjudication proceedings against such permittee under section 27 of the Act.

12. Cancellation of Permission - The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7 if the permittee –

(a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;

(b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9.

AJAY MATHUR, Director-General
[ADVT III/4/Exty./185/2009]

FORM 1
[See regulation 6]

Application for permission to affix label on household frost free refrigerator under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Label of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009

To,
THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR – 1, R.K.PURAM
NEW DELHI-110 066
INDIA.

I/ We are the manufacturers of household frost free refrigerator carrying on business at ______________________ (full business address) under the style of ______________________ (full name of individual or firm) hereby apply for permission to display label on household frost free refrigerator as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on the label of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009.

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by ____________ (Name of the company) and is manufactured at ____________ (Name and address of the factory)

3. Details of Information: The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for test products, labels and payment is given in Annexure . A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

a) Applicant: ______________________ (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm/etc, and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

b) Contact Person: ______________________ (Name and Designation) is the authorized contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.

36 GI/10-3

c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above as soon as it takes place.

4. Conformation to Quality Standards: I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other international standards in respect of Quality System/Other standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard) ___________ as specified in the Notification on ___________________(title of the Notification) for the ________ (name of the equipment). A copy of the License/certificate in respect of the above equipment is enclosed.

I/We have testing arrangements at ________ (Name and address of the laboratory) for ensuring consistency in quality of the equipment.

Lab details:

a) Tests details: (Test procedures/name/number)
b) Accreditation status:
c) Bureau of Energy Efficiency approval:

5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year from ___________ to ___________			
Current year from ________ to ___________ (estimate)			

6.(a) An application fee of rupees one thousand ______________________ has been paid by D.D.No..........dated ..../electrionic mode.

(b) A label Security Fee of rupees one lakh ______________________________has been paid by D.D.No. ....dated ;/electronic mode.

(c) I/We agree to pay the labelling fee of rupees ten per label.

7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

8 I/we authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

9. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and should any of the information supplied be found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Dated this .... Day of .... (Year)

Signature ....
Name ....
Designation ....
For and on behalf of ....
....
(Name of the firm)
SEAL OF FIRM

Annexure
[See Para 3 of Form 1]

Details of information

1. Details of the Equipment

Equipment and Type	
Brand	
Model name/Number)	
Gross Volume	
Storage Volume	
Year of manufacturing	
ISI certificate details (Attach copy of the Certificate)	
Quality System certificate details (Attach copy of the Certificate)	
Electricity consumption (Units per year)(CEC) in Watts	

Sl. No	Model Name / No.	Measured Values				Rated Values				Remarks
		Gross Volume	Storage Volume	Electricity Consumption (Units/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level Measured	Gross Volume	Storage Volume	Electricity Consumption (Units/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level Measured	

2. Details of the Company

Name of the Company:	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

3661110—4

3. Details of the Manufacturing Facility

Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Any other details	

4. Certification for Test details

Name of the Test standard, No. and Year	
Name of the test Laboratory	
Accreditation status (Attach copy of the accreditation certificate)	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

5. Product Details

Date of commencement	
Number of labels applied for BEE for the first year - for the second year - for the third year -	
Product Serial No.	**From** __________ **To** __________
Test report	
Sample Label	

6. **Label Details**

Equipment	
Type	
Name of the manufacturer/importer/Brand	
Model Name/Number	

FFR
Amendment - II 14(d)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 9, 2013/वैशाख 19, 1935
No. 129] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2013/VAISAKHA 19, 1935

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई , 2013

सं. 2/11(5)/03–बीईई. 4.–ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2012 का प्रारूप तारीख 9 अक्तूबर, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में संख्या 2/11(5)/03–बीईई–4, तारीख 8 अक्तूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों के जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

और, उक्त प्रारूप विनियमों की राजपत्र की प्रतियां 9 अक्तूबर, 2012 को उपर्युक्त राजपत्र में प्रकाशित की गईं थी;

और, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनसाधारण से कतिपय आपत्तियां या सुझाव प्राप्त हुए;

और प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर लिया गया;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप–धारा (2) के खंड (झ) के साथ पठित धारा 14 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप–विनियम (1) में,–

(i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(खक) "लेबल अवधि" से धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लिए तुलनात्मक ऊर्जा का उपभोग करने की विधिमान्यता अवधि अभिप्रेत है और यदि घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक की तुलनात्मक ऊर्जा का उपभोग करने की अन्तिम अवधि विनिर्दिष्ट है, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा नया तुलनात्मक ऊर्जा का उपभोग करने के लिए ऊर्जा मुल्य निरूपण विनिर्दिष्ट होने तक इसे विधिमान्य समझा जाएगा;';

(ii) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:–

'(च) "स्टार रेटिंग या स्टार स्तर" से घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक की ऊर्जा दक्षता को बताने के लिए धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित ऊर्जा उपभोग के मानक पर आधारित तुलनात्मक ऊर्जा उपभोग के आधार पर घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबल पर संप्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड अभिप्रेत है;';

'(छ) "व्यापारी या विक्रेता" से किसी लेबल युक्त घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के संबंध में, वह व्यक्ति जो ऐसे घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक को बेचता है या वितरित करता है और इसमें विनिर्माता, व्यापारी और अनुज्ञापत्रधारी, जिसे ऐसे घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गई है, अभिप्रेत है।'।

3. मूल विनियम में, विनियम 3 के उप विनियम (1) में, खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ix) लेबल अवधि।"।

4. मूल विनियम में, विनियम 4 के विद्यमान विनियम 4 को उप विनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप विनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"(2) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन पुनरीक्षित ऊर्जा उपभोग मानक के प्रारंभ को और प्रारंभ से प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि –

(क) बाजार में उपलब्ध स्टार स्तर संप्रदर्शित करने वाले लेबल सहित घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के स्टाक को प्रारंभ की तारीख से पहले बाजार से पूर्ण रूप में निष्कासित किया गया या पुनः लेबल युक्त किया गया या वापस ले लिया है;

(ख) बिक्री के लिए रखे गये घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक पर भी लेबल अवधि संप्रदर्शित करनी होगी, बशर्ते कि अनुज्ञापत्रधारी को ऐसे प्रारंभ से तीन मास पूर्व बाजार में घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक लाने की स्वतंत्रता होगी।

(ग) सभी प्रारंभिक उपायों, जिनमें डीलर, खुदरा व्यापारी की जागरूकता, उनके और उपभोक्ताओं के शिक्षण के लिए अपेक्षित प्रचार शामिल हैं, को सुनियोजित करना चाहिए और इस विनियम के अधीन प्रारंभ की उस तारीख से छह मास पहले करना चाहिए।

(3) जहां अनुज्ञापत्रधारी, उसके नियंत्रण से परे बाजार परिस्थितियों के कारण, उप विनियम (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने में असफल होता है और यह मानने के लिए उपभोक्ता के पास पर्याप्त आधार है कि उप विनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के बीच के आधार पर उपभोक्ता सुविचारित चयन करने में कठिनाई अनुभव करता है, तो अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो की पूर्व अनुमोदन के साथ, उप–विनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के बीच अन्तर करने के लिए अनुसूची में दर्शाए गए अभिकल्पन के अनुसार हरे रंग के लेबल पर विनियम 3 के उप विनियम (1) के खंड (vii) में निर्दिष्ट विद्युत उपभोग प्रतिवर्ष यूनिट में संप्रदर्शित करेगा।"

5. मूल विनियम के विनियम 7 में,

(i) उप विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

" (3) उप विनियम(1) के अधीन इस प्रकार प्रदत्त अनुज्ञा उस अवधि के लिए विधिमान्य होगी जिसके लिए धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानक द्वारा विनिर्दिष्ट स्टार स्तर प्रवृत्त है।";

(ii) उप विनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप विनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"(6) ऐसे अनुज्ञापत्रधारी, जो उस तारीख से जिससे पुनरीक्षित स्टार स्तर प्रवृत्त हुए हैं, घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाना जारी रखने के लिए अनुज्ञा की याचना करता है, उसे प्ररूप IV में केवल एक घोषणा करनी होगी।

(7) अनुज्ञापत्र धारी पुनः लेबल चिपकाने की अनुमति लेगा, यदि घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के एक नए मॉडल को पुनरीक्षित स्टार स्तर के समनुरूप उतारने की योजना बनाई है, तो ऐसी अनुमति के लिए पुनरीक्षित स्टार स्तरके प्रवृत्त होने से छह मास पहले आवेदन करना होगा।"।

6. मूल विनियमों के, विनियम 8 में खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(चक) अनुज्ञापत्रधारी को प्राधिकृत वितरकों, डीलरों, खुदरा व्यापारियों, विक्रेताओं, जिन्हें उनके लेबल युक्त उत्पादों को बेचने के लिए नियुक्त किया गया है, की अद्यतित सूची को अपनी वैबसाइट पर संप्रदर्शित करना होगा और प्रत्येक वर्ष, 1 अप्रैल को इसे ब्यूरो और राज्य अभिहित अभिकरणों को प्रस्तुत करना होगा।"

7. मूल विनियम के, विनियम 11 में, उप विनियम (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखे जाएंगे,–

"(4) जहां द्वितीय परीक्षण असफल होता है, वहां ब्यूरो,–

(क) अनुज्ञापत्रधारी को प्ररूप V में यह निदेश देगा कि सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचित करते हुए अनुज्ञापत्रधारी दो मास की अवधि के भीतर,–

(i) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के स्तर पर संप्रदर्शित स्टार लेबल को सही करेगा या परीक्षण के दौरान पाई गई नुक्सों और कमियों को दूर करेगा;

(ii) ब्यूरो के निदेशानुसार बाजार से सारे स्टाक को हटाएगा; और

(iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदलेगा।

(ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर किसी अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलैक्ट्रानिक या किसी अन्य रीति से, जैसा उचित समझा जाए, प्रकाशित करेगा;

(ग) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू करने के लिए संबद्ध राज्य अभिहित अभिकरणों को संसूचित करेगा;

(5) अनुज्ञापत्रधारी, उप–विनियम (4) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि की समाप्ति के दस दिन के भीतर–

(क) निदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई की बाबत ब्यूरो को प्ररूप IV में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा; और

(ख) यदि खंड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है,या किसी दिशा निर्देश के अनुपालन के बिना विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होती है, तो इसे ब्यूरो द्वारा पारित इस आशय के आदेशों और जारी किए गए निदेशों का अननुपालन समझा जाएगा।

(6) ब्यूरो, खंड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट और उप विनियम (5) के खंड (ख) में पारित आदेशों की एक प्रति धारा 17 और उपर्युक्त खंड (ख) के अधीन पारित आदेश के प्रवर्तन कार्रवाई के प्रयोजन के लिए सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को भेजेगा।

(7) जहां अनुज्ञापत्रधारी, उप विनियम(4) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां ब्यूरो, सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचित करते हुए,–

(क) विनियम 7 के उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी को प्रदत्त अनुज्ञा को वापस ले लेगा;

(ख) धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानक का अनुरूप, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खंड (ग) के अधीन विचार करने और कार्रवाई करने के लिए खंड (क) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करने में यदि अनुज्ञापत्रधारी असफल रहता है तो इसके समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट के साथ साथ इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजेगा;

(ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर किसी अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलैक्ट्रानिक या किसी अन्य तरीके से, जैसा उचित समझा जाए, प्रकाशित करेगा;

(घ) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां और शुरू करने के लिए संबध्द राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचित करेगा।";

8. मूल विनियम के, प्ररूप II में, विद्यमान पैराग्राफ 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात्:–

"5. जहां स्टार स्तर की योजना की पुनर्विलोकन करने पर ब्यूरो द्वारा उपांतरित की जाती है, घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक का स्टार स्तर निम्नानुसार उपांतरित किया जाएगाः

(क) यदि नया मॉडल पुनरीक्षित स्टार स्तर के अनुरूप शुरू किया जाता है, तो नए स्टार स्तर के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास पूर्व ब्यूरो को ऐसी अनुमति के लिए एक आवेदन देना होगा;

(ख) जहां विद्यमान मॉडल को ही उपांतरित स्टार स्तर के रूप में जारी रखा जाता है, वहां प्ररूप IV में, केवल एक घोषणा ब्यूरो को प्रस्तुत करनी होगी।".

9. मूल विनियम में, प्ररूप III के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"प्ररूप IV

घोषणा

[विनियम 7(6) देखिए]

(प्रत्येक भिन्न मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत करना होगा)
(निगमित निकाय/लेबल के उपयोगकर्ता के पत्र शीर्ष पर)

तारीख :

सेवा में
महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन,
सैक्टर 1, आर के पुरम,
नई दिल्ली– 110066
भारत।

विषय : तारीख........................से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के प्रभावी स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार लेबल चिपकाने की अनुमति के लिए आवेदन

1. मैं/हम घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के विनिर्माता हूं/हैं जो [कम्पनी का नाम और पूरा पता] स्टाइल के अधीन [व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम] कारोबार कर रहा है/रहे हैं, घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक पर लेबल चिपकाने की अनुमति के लिए आवेदन करता

हूं/करते हैं, जैसा कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट हैं, जिनमें ....से प्रभावी स्टार स्तर में पुनरीक्षिण किया जाएगा।

2. **विनिर्माणकारी सुविधाः** उक्त उपकरण [व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित या आयातित किया गया है और[फैक्टरी का नाम और पता]में [फैक्टरी/आयातक का नाम और पता] में विनिर्मित किया गया है या से आयात किया गया है।

3. नए स्टार स्तर से अनुरूपताः मैं/हम सारणी में परिवर्तन सारणी स्टार स्तर के पुनरीक्षण की पुष्टि करता हूं/करते हैं, जैसा कि अधिसूचना सं. का.आ.183(अ) तारीख 12 जनवरी, 2012 में घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लिए विनिर्दिष्ट है। उक्त उपकरण (जो पहले अनुमोदित था) के संबंध में बीईई लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमोदन की एक प्रति संलग्न हैं।

4. घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के संबंध में बीईई लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन में पुनरीक्षण के अनुसार) की एक प्रति संलग्न है।

5. स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार उपकरण/मॉडल के ब्यौरेः

मॉडल का नाम ....

विशिष्टियां	मूल्य निरूपण	
सकल मात्रा	—	
भण्डारण मात्रा	—	
तुलनात्मक विद्युत उपभोग	—	
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्तर के अनुसार)	(स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार)

6. मैं/हम स्टार लेबल प्ररूप को विद्यमान स्टार लेबल स्तर से पुनरीक्षित स्टार लेबल स्तर में हस्तलिखित आवेदन और ऑनलाइन वैब पोर्टल में परिवर्तन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

7. मैने उक्त घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लिए तारीख तक के तिमाही उत्पादन के आंकड़े और लेबलिंग शुल्क प्रस्तुत कर दिया है।

8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी शर्तों और निबंधनों को मानने के लिए सहमत हूं/हैं और यदि ब्यूरो द्वारा कोई जांच की जाती है तो ब्यूरो को आवश्यक सहायता/सहयोग देने के लिए सहमत हूं/हैं।

9. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने का चयन करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निदेशों को मानने के लिए सहमत हूं/हैं।

10. मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी पूरी जानकारी के अनुसार सही है और यदि दी गई कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन को रद्द कर दिया जाए।

तारीख

दिन..............................(वर्ष)
हस्ताक्षर................................
नाम.......................................
पद नाम..................................

कृते और की ओर से ....
(फर्म का नाम)
फर्म की मोहर

....

प्ररूप V

[विनियम 11(4) देखिए]

द्वितीय जांच पड़ताल में असफल होने पर अनुज्ञापत्र धारी को निदेश

नई दिल्ली तारीख 201

सेवा में

....
....
....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में आपको बीईई पत्र सं. .... तारीख............................. के अनुसार घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर लेबल चिपकाने की अनुमति, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों के अनुपालन के अध्यधीन दी गई थी।

2. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 11 के अधीन जो घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक संख्या......के सत्यापन और परीक्षण से संबंधित हैं और आपके प्राधिकृत वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी से ....रूपये की कीमत पर बीजक संख्या .... तारीख .... को क्रय किया गया था और पूर्वोक्त खरीदे गए घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों पर आपके द्वारा चिपकाए गए पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विशिष्टियां के सत्यापन के लिए का.आ. सं.183, तारीख 12 जनवरी, 2009 के पैराग्राफ 4 के अधीन एक नमूना, ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक अभिकरण मेसर्स .... द्वारा उठाया गया था। मेसर्स ....(वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी का नाम) से अभिप्राप्त, सत्यापन अभिकरण और आपके प्रतिनिधियों के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित उठाए गए नमूने पर उकेरी गई विशिष्ट पहचान क्रम संख्या दी गई है और मेसर्स .... द्वारा सम्यक् रूप से सील बंद किया गया है।

3. ब्यूरो अपने पूर्वोक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने को मेसर्स .... जो का.आ.सं. 183(अ) तारीख 12 जनवरी, 2009 के उपाबंध में दिए गए प्ररूप के अनुसार जांच रिपोर्ट देने के लिए तारीख 12 जनवरी, 2009 के का.आ. संख्या 183(अ) के पैराग्राफ 3 और 4 में उपदर्शित परीक्षण प्रकिया के अनुसार परीक्षण करने के लिए एक एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला है, तक लेकर गया।

4. अनन्य पहचान कम संख्या वाले नमूने की जांच रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। जांच रिपोर्ट के परिणाम उपदर्शित हैं कि घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के नमूने प्रत्येक वर्ष एकक में ऊर्जा उपभोग, मानक, विनिर्दिष्ट सकल मात्रा और भंडारण मात्रा आदि को पूरा करने में असफल था और आपके द्वारा विनिर्मित/आयातित घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा मांगने के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन के साथ संलग्न प्ररूप I में आपके द्वारा दिए गए जांच ब्यौरों के अनुरूप नहीं है। परीक्षण परिणाम आपके बीईई के पत्र संख्या....................... तारीख .... द्वारा प्राधिकृत सम्पर्क व्यक्ति के नाम में आपको भेजे गए थे। एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला मेसर्स .... में नमूनों की द्वितीय जांच सत्यापन परीक्षण में उपस्थित होने और साक्ष्य के लिए भी आपसे अनुरोध किया गया था।

5. द्वितीय जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूना हमारे प्राधिकृत अभिकरण मेसर्स .... के माध्यम से का.आ संख्या 183 तारीख 12 जनवरी, 2009 के पैराग्राफ 4 के अनुसार लिया गया और हमारे प्राधिकृत अभिकरण द्वारा मेसर्स .... द्वारा सम्यक् रूप से मुहर बंद करके एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला तक लाया गया और ....से, सत्यापन अभिकरण के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि और आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों के अधीन प्राप्त उक्त नमूने पर उकेरी गई एक विशिष्ट पहचान क्रम संख्या दी गई।

6. एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकृत कार्मिक द्वारा सम्यक् रूप से तैयार किए गए, जांच किए गए और प्रतिहस्ताक्षरित किए गए परीक्षण परिणाम द्वितीय परीक्षण सत्यापन रिपोर्ट में विहित हैं। परीक्षण रिपोर्ट द्वितीय जांच परीक्षण के एक साक्षी के रूप में हमारे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित भी है। परीक्षण परिणाम यह पुष्टि करते हैं कि विनिर्मित आयातित और बाजार में बेचे गए घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक का.आ. संख्या 183 (अ) तारीख 12 जनवरी, 2009 में दिए गए अपेक्षित पैरामीटरों तथा मानकों और उन पर चिपकाए गए लेबल पर संप्रदर्शन के लिए विशिष्टियां आपको दी गई अनुज्ञा की शर्तों और निबंधनों को पूरा नहीं करती हैं।

7. अतः, अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 11 के उप विनियम (4) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्यूरो निदेश करता है कि–

(i) घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के स्तर पर संप्रदर्शित स्टार लेबल को सही करें या परीक्षण के दौरान पाए गए नुक्स और कमियों को दूर करें;

(ii) ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टाक को हटाएं; और

(iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदलें।

8. आपको निदेशित किया जाता है कि इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो मास के भीतर उपर्युक्त सुधार संबंधी कार्रवाई पूरी की जाए और दो मास के अवसान के पश्चात् 10 दिन के भीतर, अर्थात्–201–तक प्ररूप V में अनुपालन रिपोर्ट भेजें। यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 11 के उप विनियम (5) के खंड (ख) के रूप में कार्रवाई करेगा।

9. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 11 के विनियम (4), (5), (6) और (7) के निबंधनों के अनुसार इस मामले में आगे अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

सचिव,
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

1. असफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट
2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

1887 GI/13-2

प्ररूप VI

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

[विनियम 11 (4) देखिए]

(कम्पनी के पत्र शीर्ष में प्रस्तुत किया जाए)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009, के विनियम 7 के उपबंधनों के अनुसरण में, हम मेसर्स .... घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के विनिर्माता, को मॉडल संख्या .. .. के लिए बीईई पत्र संख्या .... तारीख .... के .... स्टार स्तर के ऊर्जा उपभोग मानक के समनुरूप घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा दी गई थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009, के विनियम 11 के उप विनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में बीईई पत्र संख्या .... तारीख .... द्वारा हमें निदेश दिए गए थे कि हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई कर ली गई है।

	निदेशित कार्रवाई	अवस्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निदेशों का अनुपालन करने के लिए घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक लेबल पर सही स्टार स्तर संप्रदर्शित किया जाए	हां/नहीं/लागू नहीं होता	...........स्टार से .... स्टार तक स्टार स्तर ठीक कर दिया है।
(ii)	ब्यूरो के निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाजार से पूरा स्टाक हटाया जाए और	हां/नहीं/लागू नहीं होता	ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से पूरा स्टाक हटा लिया गया है।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदला जाए	हां/नहीं/लागू नहीं होता	हां/नहीं/लागू नहीं होता

उपर्युक्त घोषणा मेरी/हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर
नाम
पद नाम
कृते और के लिए
कम्पनी/फर्म आदि का नाम
फर्म की सील।"।

10. मूल विनियम के विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्–

अनुसूची

[विनियम 3(2) देखिए]

घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर संप्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियों के ब्यौरे

(1) लेबल डिजाइन, आकार, रंग स्कीम और लेबल की अंतर्वस्तु में यह सम्मिलित होगा।

(i) लेबल के निम्नलिखित आयामी अभिकल्पन, अर्थात्–

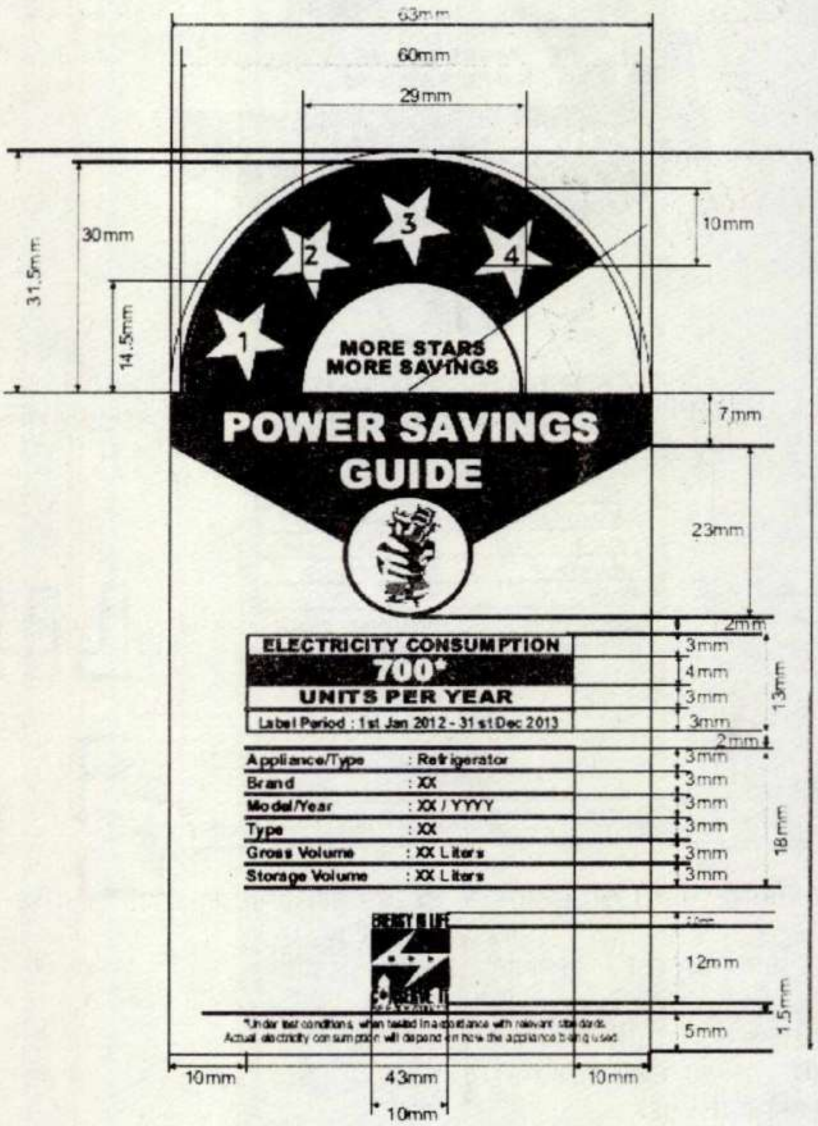

(ii) लेबल के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम, अर्थात्–

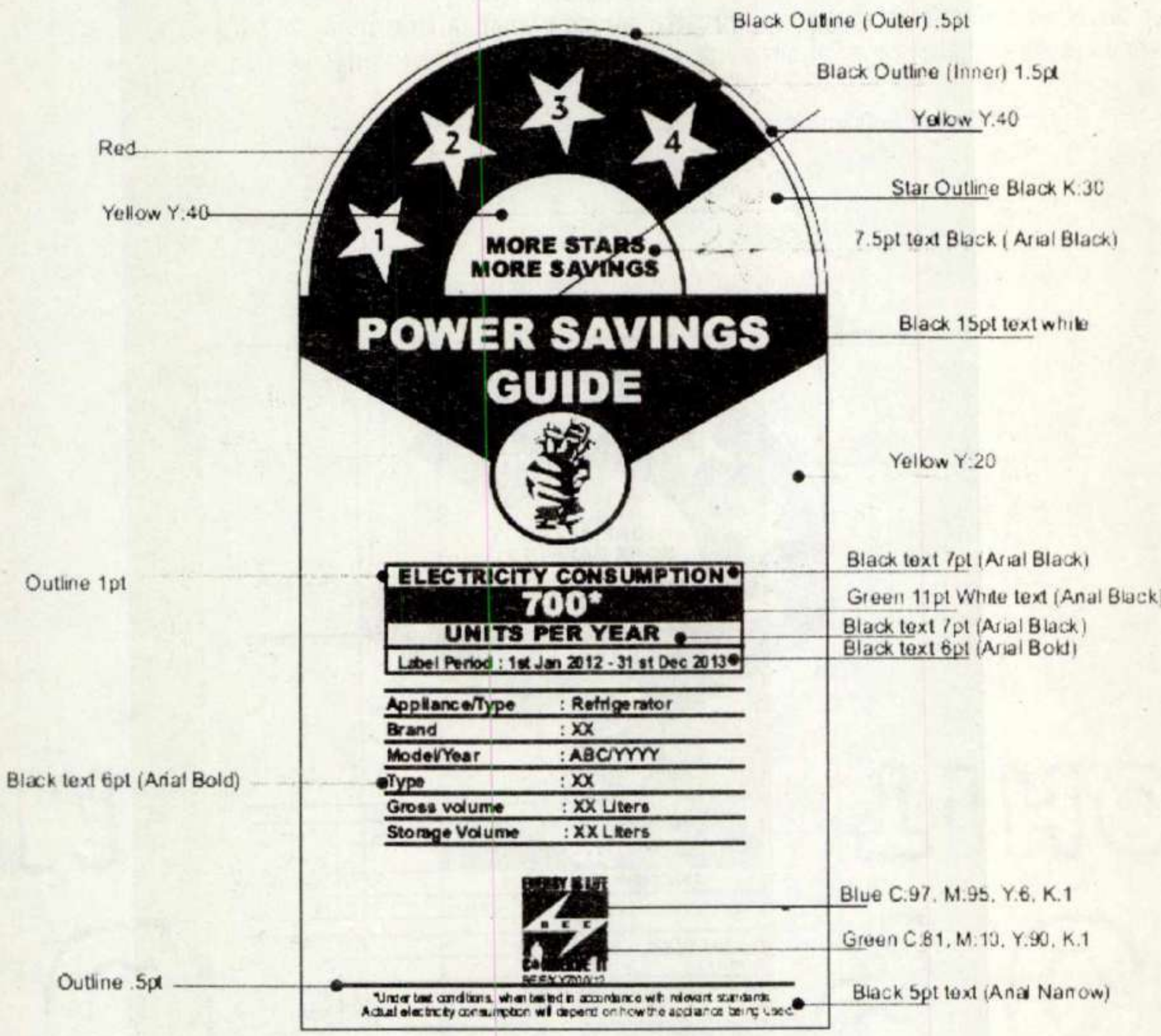

टिप्पण : विद्युत उपभोग संप्रदर्शन (हरा) की पृष्ठभूमि में रंग टोन वही होगा जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लोगो के लिए अपनाया गया है।

(iii) ब्यूरो के लोगो के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम अर्थात्–

नीला–

रंगत (H) –239° संतृप्ति (S) : 64% द्युति (B): 59%

ज्योतिर्मयता या हल्कापन (L) : 28, रंग संबंधी घटक –a:24b:54

लाल (R): 54 हरा (G): 55 नीला (B): 151

सायन (C): 97% मेजेन्टा (M): 95% पीला (Y): 6% काला (K): 1%

वेब रंग कोड –#363797

हरा

रंगत (H): 150° संतृप्ति (S) : 10% द्युति (B) 67%

ज्योतिर्मयता या हल्कापन (L) : 61, रंग संबंधी घटक –a:53b:32

लाल (R): 0 हरा (G): 170 नीला (B): 87

सायन (C): 81% मेजेन्टा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1%

वेब रंग कोड – #00AA56;

(iv) निम्नलिखित घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लिए मुद्रित लेबल का संपूर्ण नमूना, अर्थात्:–

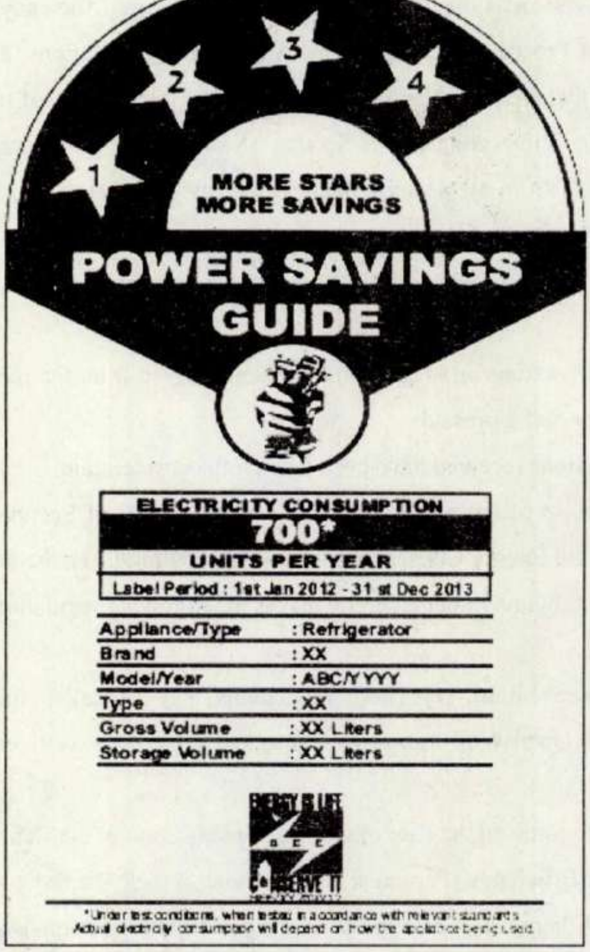

(2) सामग्री और आकार

लेबल टिकाऊ गत्ते का होना चाहिए, यदि इसे स्विंग टैग के रूप में संलग्न किया जाना है या स्वतः चिपकने वाला हो, और लेबल के लिए विमीय डिजाइन स्कीम में दिखाई गई रूपरेखा पर काटना होगा"।

ज्योति अरोरा, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

[विज्ञापन III/4/असाधा./187–जी/13]

पाद टिप्पण : मूल विनियम, अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 राजपत्र में भाग III, खंड 4 में संख्या 2/11(5)/03–बीईई–4, तारीख 6 जुलाई, 2009 द्वारा अधिसूचित किया गया था और इसमें संख्या 2/11(5)/03–बीईई–4, तारीख 5 जनवरी, 2010 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

1887 GI/13-3

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, 8th May, 2013

No. 2/11(5)/03-BEE-4.-Whereas the draft of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Amendment Regulations, 2012, was published vide number 2/11(5)/03-BEE-4 dated the 8th October, 2012 in Part III, section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th October, 2012, as required under sub-section (1) of Section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within thirty days from the date of publication in the Official Gazette;

And, whereas, Gazette copies of the said draft regulations were published in the aforesaid Gazette on the 9th October, 2012;

And, whereas, certain objections or suggestion has been received from the public with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

And whereas the suggestions received have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of Section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of Section 58 of the said Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.-(1)** These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Amendment Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1),-

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

'(ba) "label period" means the validity period of the comparative energy consumption for household frost free refrigerator specified by the Central Government under clause (a) of section 14 and in case the end period of the comparative energy consumption for household frost free refrigerator is not specified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are specified by the Central Government;';

(ii) for clause (f), the following clauses shall be substituted, namely:—

'(f) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the household frost free refrigerator on the basis of comparative energy consumption based on the energy consumption standard notified under clause (a) of section 14 to denote the energy efficiency of the household frost free refrigerator;';

'(g) "trader or seller" in relation to any labelled household frost free refrigerator means, a person who sells or distributes any such household frost free refrigerator and includes the manufacturer, trader, and permittee given permission to affix label on such household frost free refrigerator.'.

3. In the principal regulations, in regulation 3, in sub-regulation (1),after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ix) label period.".

4. In the principal regulations, in regulation 4, the existing regulation 4 shall be renumbered as sub-regulation (1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered, the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

"(2) On and from the commencement of revised energy consumption standards under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee shall ensure that-

(a) the stock of household frost free refrigerators with label displaying the star level available in the market is fully exhausted or relabelled or withdrawn from the market before the date of commencement;

(b) the household frost free refrigerator put on sale shall also display label period provided that the permittee shall be at liberty to introduce the household frost free refrigerator in the market three months prior to such commencement.

(c) all the preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers shall be well planned and taken six months in advance of the date of commencement under this regulation.

(3) Where the permittee fails to ensure compliance of the provisions specified in clause (a) of sub-regulation (2), on account of market conditions beyond his control, and there are reasonable grounds to believe that the consumer would find it difficult to make a considered choice on the basis of comparative energy consumption between the household frost free refrigerator referred to in clause (a) and clause (b) of sub-regulation (2), the permittee with the previous approval of the Bureau shall display electricity consumption in units per year, referred to in clause (vii) of sub-regulation (1) of regulation 3 on the label in green colour as per design shown in the Schedule to make a distinction between the Household Frost Free Refrigerator referred to in clause (a) and clause (b) of sub-regulation (2).".

5. In the principal regulations, in regulation 7-,

(i) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for the duration for which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.";

(ii) after sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be inserted, namely:

"(6) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the household frost free refrigerators from the date from which the revised star level comes into force shall submit only a declaration in form IV.

(7) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the household frost free refrigerators is planned to be launched synchronising with the revised star level and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.".

6. In the principal regulations, in regulation 8after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

"(fa) the permitee shall display on its web-site an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products and furnish the same to the Bureau as well as to the State Designated Agencies as on 1st April of each year,".

7. In the principal regulations, in regulation 11, for sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

"(4) Where the second test fails, the Bureau shall,-

(a) direct the permittee in Form V, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee within a period of two months shall,-

(i) correct the star level displayed on the label of the household frost free refrigerators or remove the defects and deficiencies found during the testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(iii) change the particulars displayed on advertising material.

(b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;

(c) intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(5) The permittee within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (4) shall,-

(a) Send the compliance report in Form VI to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and

(b) in case compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.

(6) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (5) to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 and enforcement of order passed under the aforesaid clause (b).

(7) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (4), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall,-

(a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

(b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14, the orders issued by the Bureau under clause (a) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 by the Central Government;

(c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner it deems fit within two months;

(d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

8. In the principal regulations, in Form II, for the existing paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"5. Where the star level plan on review is modified by the Bureau, the star level of the household frost free refrigerators shall stand modified as follows:

(a) if new model is launched synchronising with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;

(b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.".

9. In the principal regulations, after Form III, the following Forms shall be inserted, namely:—

"Form IV
DECLARATION
[Refer Regulation 7(6)]

(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of corporate body / User of Label)

Date:

To
THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066,
INDIA.

Sub: Application for permission to affix Label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Label of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 on revision of star level effective from ....

1. I/ We are the manufacturers of Household Frost Free Refrigerators carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on Household Frost Free Refrigerators as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on the label of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 which would go for revision of star level with effect from ....

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF FACTORY/Importer).

3. Conformance to New Star Level. I/We confirm to the revision of star level as specified in the notification number S.O. 183 (E) dated the 12th January, 2009 for Household Frost Free Refrigerators. A copy of the BEE License/certificate/approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

4. A copy of the BEE Label (as per revision of star level change) in respect of the Household Frost Free Refrigerators is enclosed.

5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name - ______________________

Particulars	**Values**	
Gross Volume	--	
Storage Volume	--	
Comparative Electricity Consumption	--	
Star Rating	(As per existing label level)	(As per revision in star level)

6. I/We agree to change my star label from Existing STAR LABEL LEVEL to Revised STAR LABEL LEVEL in manual application as well as in the online web portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said Household Frost Free Refrigerators.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and should any of the information supplied be found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of .... (Year)
Signature ....
Name ....
Designation ....
For and on behalf of.....................
....
(Name of the firm)
SEAL OF FIRM

....

FORM V

[Refer Regulation 11(4)]

Direction to Permittee on failure of Second Test Checking

To New Delhi, dated the.....

....

....

....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 you were permitted to affix label on the Household Frost Free Refrigerators vide BEE letter No. ....dated....... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau under Regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 dealing with verification and Testing of the Household Frost Free Refrigerators number ....purchased from your authorised Distributor, dealer, retailer vide Invoice number .... dated for a price of Rs................and lifted as a sample under paragraph 4 of the S.O.number183 dated the 12th January, 2009 by M/s. ....an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under Regulation 3 of the aforesaid Regulations, affixed by you on the aforesaid purchased Household Frost Free Refrigerators. The sample duly sealed by M/s.............. was given Unique Identification serial number embossed on the lifted sample obtained from M/s..........(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

3.The Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s. ...., a NABL accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3 and 4 of.S.O.number 183(E)dated the 12th January, 2009 for giving Test Report in accordance with the Form given in Annexure to S.O. number 183(E) dated the 12th January, 2009.

4. The results of the Test Report on the sample bearing Unique Identification serial number is enclosed. The results of the Test Report indicated that the sampled Household Frost Free Refrigerators failed to meet the electricity consumption in units per year, standard, specified gross volume and storage volume etc. and did not conform to the Test details furnished by you in Form 1 annexed to the Application submitted by you for seeking permission to affix label on the Household Frost Free Refrigerators manufactured/imported by you. The Test Results were sent to you vide BEE letter No... ..... dated........in the name of your authorised Contact person. You were also requested to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the NABL Accredited Laboratory M/s..

5.The Sample for second check verification Test were picked up in accordance with paragraph 4 of S.O. number 183 dated the 12th January, 2009 through our authorised Agency M/s. ....and transported to the NABL

accredited Laboratory transported by our authorised Agency, duly sealed by M/s............... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained from .... under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

6. The Test results are contained in Second Test Verification Report duly prepared checked and counter signed by the competent authorized personnel of the NABL Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O.number 183(E) dated, 12th January, 2009 and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Household Frost Free Refrigerators manufactured/imported and sold in the market .

7. Now, therefore in exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (4) of Regulation 11of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009, the Bureau hereby directs to :-

(i) correct the star level displayed on the label of the Household Frost Free Refrigerators or remove the defects and deficiencies found during testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(iii) change the particulars displayed on advertising material.

8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form V within 10 days after the expiry of two months i.e. by ....201... .In case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action in terms of clause (b) of sub-regulation (5) of Regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency. (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009.

9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (4) (5) (6) and (7) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009.

Secretary,
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model
2. Correspondence with the manufacturer

Form VI
Action Taken Report
[Refer Regulation 11(5)]

(To be furnished on Company's letter head)

To **Dated.....**

THE SECRETARY,
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particular and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 we M/s..the manufacturer of Household Frost Free Refrigerators were permitted to affix label on the Household Frost Free Refrigerators conforming to the energy consumption standard of ....star level vide BEE letter No................dated..............for the model number..

Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009, we were given directions vide BEE letter number....................dated............and we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	correct the star level displayed on the label of the Household Frost Free Refrigerators to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.............star to......................star
(ii)	withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature
Name
Designation
For and on behalf of......
Name of the Co./Firm etc
Seal of the Firm/Co.".

10. In the principal regulations, for the existing Schedule the following Schedule shall be substituted, namely:—

1887 GI/13-5

Schedule
[See regulation 3(2)]

Details of particulars to be displayed on labels of household frost free refrigerators.

(1.) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include—

(i) the following dimensional design of label ,namely:—

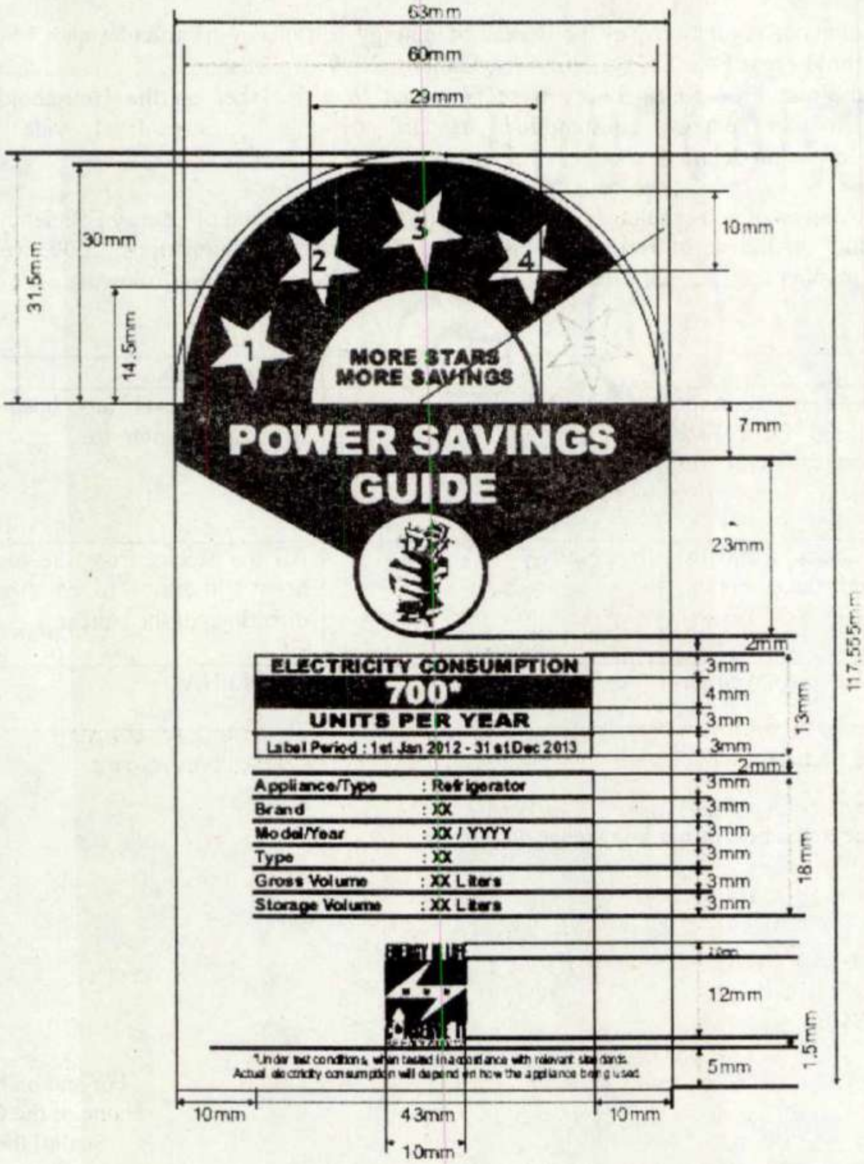

(ii.) The following colour scheme for the label, namely:—

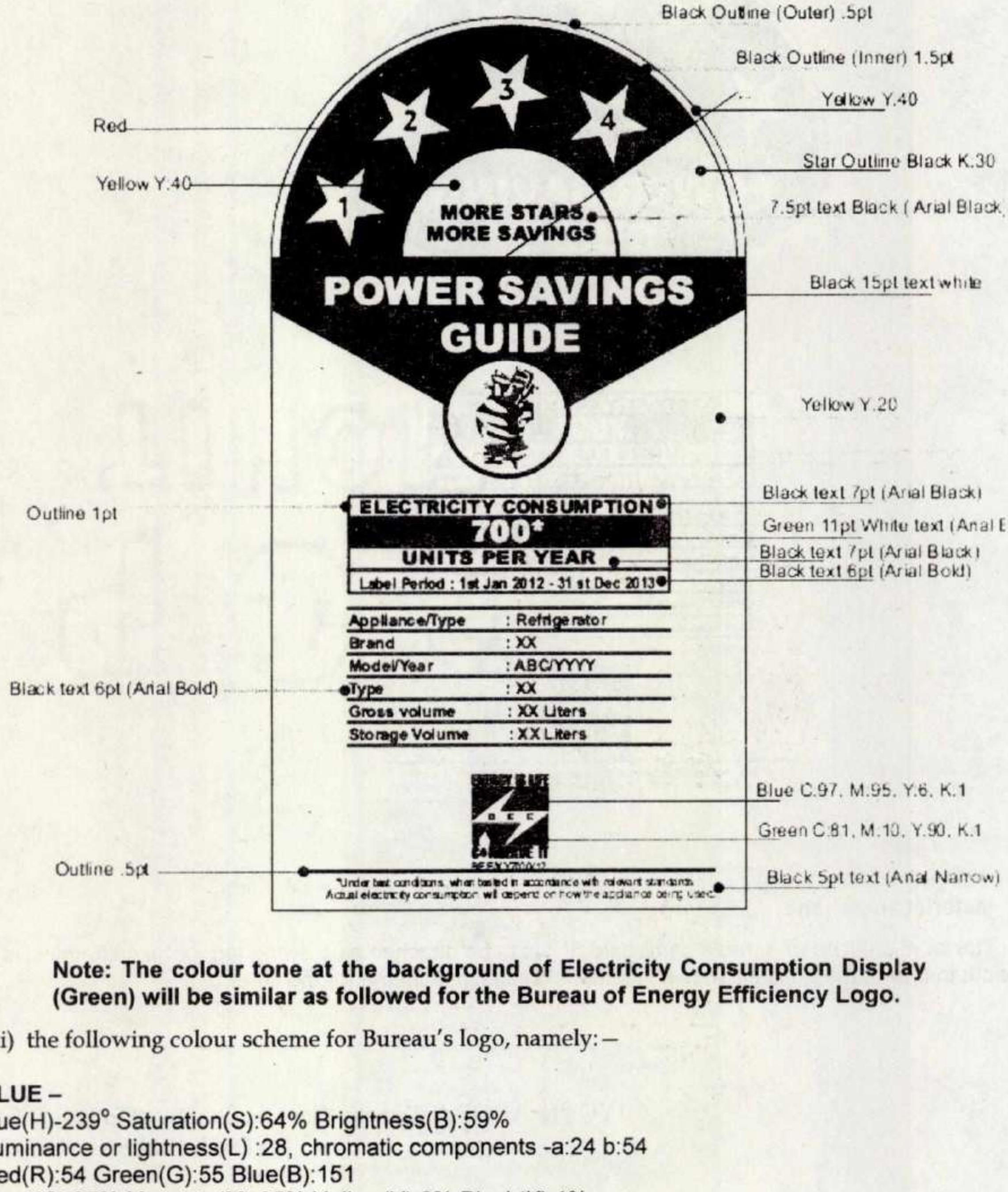

Note: The colour tone at the background of Electricity Consumption Display (Green) will be similar as followed for the Bureau of Energy Efficiency Logo.

(iii) the following colour scheme for Bureau's logo, namely:–

BLUE –
Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%
Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54
Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151
Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%
Web colour code - #363797
GREEN –
Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%
Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32
Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87
Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%
Web colour code - #00AA56;

(iv) the following complete specimen of a printed label for household frost free refrigerator, namely:—

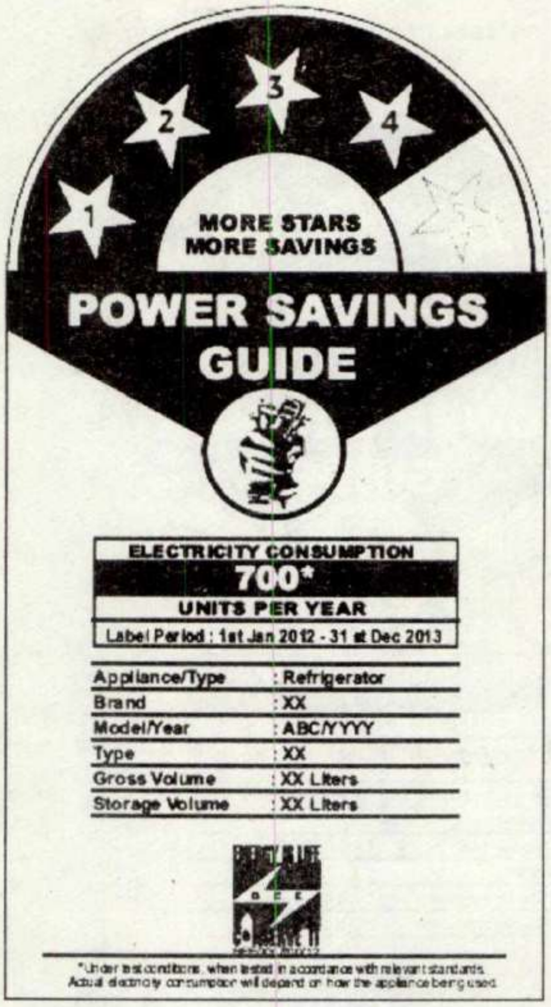

(2). **Material and shape**

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label.".

JYOTI ARORA, Director General, Bureau of Energy Efficiency
[ADVT-III/4/Exty/187-G/13]

Foot Note.-The principal regulations, namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 were notified in the official gazette in Part III, Section 4 vide number 2/11(5)/03-BEE-4, dated the 6th July, 2009 and last amended vide number 2/11(5)/03-BEE-4 dated, the 5th January, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.